

श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2017

राज्यपाल, श्री गुरु राम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2017) की धारा 27 एवं 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके विश्वविद्यालय से संबंधित या उससे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित प्रथम परिनियमावली बनाते हैं, अर्थात्—

अध्याय—एक प्रारम्भिक

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ
- धारा 27,
- परिभाषाएँ
- 1.01 (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2017 है।
- (2) ये उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख से अथवा उत्तराखण्ड राज्य सरकार को प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह की समाप्ति पर जो भी पहले हो, से लागू होंगे।
- (3) प्रथम परिनियमों के प्रभावी होने के पश्चात् विद्यमान परिनियमों में आगामी संशोधन, परिवर्धन अथवा निरसन प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे संशोधित परिनियम उत्तराखण्ड की राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे। ये संशोधित परिनियम उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख से अथवा उत्तराखण्ड राज्य सरकार को प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह की समाप्ति पर जो भी पहले हो से लागू होंगे।
- 1.02 (1) जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा कोई अपेक्षित न हो, इन परिनियमों में—
- (क) 'अधिनियम' से श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है;
- (ख) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ग) 'विश्वविद्यालय' से श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, देहरादून अभिप्रेत है;
- (घ) 'शैक्षणिक कर्मी' से विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय, इसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों में शिक्षण व शोध कार्यों के लिए नियुक्त किये गये हो;
- (ङ) 'प्रशासनिक कर्मी' से विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय, इसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों में प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किये गये हो;
- (2) एकवचन दर्शाने वाले शब्द में बहुवचन भी शामिल है एवं तदनुसार इसके विपरीत भी मान्य होगा;
- (3) किसी लिंग को दर्शाने वाले शब्दों में दोनों लिंग शामिल होंगे;
- (4) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

कुलाधिपति

2.01 (1) कुलाधिपति का कार्यकाल 5 (पाँच) वर्ष का होगा। वह पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा।

धारा 11 एवं
13,

(2) यदि कुलाधिपति का पद उसके कार्यकाल से पूर्व मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है या बीमारी या अन्य किसी कारणवश अस्थायी रूप से रिक्त होता है तो नये कुलाधिपति की नियुक्ति होने तक या प्रतिस्थानी कुलाधिपति के पुनः पदभार ग्रहण करने तक प्रति कुलाधिपति, यदि कोई हो, कार्यवाहक कुलाधिपति होगा। प्रतिकुलाधिपति न होने की स्थिति में नये कुलाधिपति की नियुक्ति होने तक या प्रतिस्थानी कुलाधिपति के पुनः पदभार ग्रहण करने तक, प्रायोजक संस्था कार्यवाहक कुलाधिपति की नियुक्ति कर सकेगी। कार्यवाहक कुलाधिपति व्यवस्थापक मण्डल के परामर्श से सभी निर्णय लेगा।

(3) कुलाधिपति को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् : -

(एक) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा और विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों का सम्पूर्ण प्रभारी होगा।

(दो) कुलाधिपति यदि आवश्यक समझे तो स्वप्रेरणा से अथवा उसे सन्दर्भित किसी मामले में विचार करते समय, विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय या विभाग या संघटक महाविद्यालय से ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों या सूचना को मांग सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे।

(4) कुलाधिपति सभी तथ्यों की समीक्षा के उपरान्त एवं कुलपति की संस्तुति को ध्यान में रखकर व्यवस्थापक मण्डल के सिवाय विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी प्राधिकारी के ऐसे किसी संकल्प या आदेश या कार्यवाही जो उसकी राय में विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, नियमों या अध्यादेशों, जैसी स्थिति हो, के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, को स्थगित या संशोधित कर सकेगा।

(5) कुलाधिपति को किसी ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा, जैसा वह निर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय या उसके किसी भी संकाय, संघटक महाविद्यालय, विभाग, क्षेत्रीय केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्र की परीक्षाओं, शिक्षण, अनुसंधान, प्रशासन और वित्त, भवनों, प्रयोगशालाओं, अभिलेखों व उसके उपकरणों व उनके द्वारा किये जा रहे अन्य कार्यों के निरीक्षण करने अथवा करवाने का अधिकार होगा। कुलाधिपति द्वारा ऐसे निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त अधिकारी/अधिकारीगण, कुलाधिपति को, ऐसे निरीक्षण/जाँच के परिणाम की आख्या कुलाधिपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करेगा। यह आख्या गोपनीय एवं कुलाधिपति की समीक्षा व मूल्यांकन के लिए होगी और इसे निरीक्षण/जाँच के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी/अधिकारियों द्वारा या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी द्वारा उदघाटित नहीं किया जायेगा।

(6) कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण या जाँच का परिणाम एवं उस पर की जाने वाली संस्तुति कुलपति को संसूचित करेगा। कुलपति ऐसी संस्तुति को कार्यान्वित करवाने हेतु प्रबन्ध मण्डल को संसूचित करेगा।

(7) जहाँ, प्रबन्ध मण्डल, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी या उसके संघटक

महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों, जैसी स्थिति हो, के अधिकारी कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुकूल संस्तुत कार्यवाही पर कार्यवाही नहीं करते, प्रबन्ध मण्डल, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी या उसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों जैसी स्थिति हो, के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किसी प्रतिनिधित्व या स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद वह ऐसे निर्देश जारी करेगा जैसा वह उचित समझे एवं विश्वविद्यालय, उसके संघटक महाविद्यालय, विभाग, क्षेत्रीय केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्र, जैसी स्थिति हो, ऐसे निर्देशों का पालन करेंगे।

- (8) जब कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो एवं कुलाधिपति की राय में विद्यमान परिस्थितियों में अल्प सूचना में व्यवस्थापक मण्डल की बैठक बुलाना सम्भव नहीं हो, विश्वविद्यालय के हित में वह जैसा उचित समझे, आवश्यक व समुचित निर्णय ले सकेगा या कार्यवाही कर सकेगा। उसे विश्वविद्यालय के समस्त या किसी भी प्राधिकारी, अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी कर्मचारियों एवं/या छात्रों को कोई भी आदेश या निर्देश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान होगी और वे तत्काल ऐसे दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। वह ऐसे समस्त आदेशों/कार्यवाहियों को अनुमोदन हेतु व्यवस्थापक मण्डल की आगामी बैठक में सूचित करेगा।
- (9) बजट में असम्मिलित व प्रबन्ध मण्डल द्वारा विधिवत् परीक्षित एवं अग्रेसित व्ययों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर कुलाधिपति विचार करेगा व अनुमोदन प्रदान करेगा एवं व्यवस्थापक मण्डल की आगामी बैठक में अनुमोदित हेतु सूचित करेगा।
- (10) बजट में असम्मिलित, तत्काल प्रकृति के, अपरिहार्य व विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप कुलपति द्वारा अग्रेसित व्यय सम्बन्धी सभी प्रस्तावों पर कुलाधिपति विचार करेगा व अनुमोदन प्रदान करेगा। कुलाधिपति ऐसे प्रस्तावों को व्यवस्थापक मण्डल की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु सूचित करेगा।
- (11) विश्वविद्यालय के परिनियमों, नियमों एवं अध्यादेशों की व्याख्या में मतभेद की स्थिति में कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम होगा।
- (12) अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत कुलपति के चयन हेतु गठित समिति की संस्तुति से यदि कुलाधिपति असहमत है तो वह नये पैनल की माँग कर सकेगा।
- (13) कुलाधिपति को जारी किये जा चुके चैको का भुगतान रुकवाने हेतु बैंको को निर्देश देने की शक्ति होगी।
- (14) कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।
- (15) यदि कुलाधिपति अपने पद का परित्याग करना चाहे, वह प्रायोजित संस्था के सचिव को सम्बोधित कर अपना लिखित त्याग-पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रायोजित संस्था द्वारा लिखित में परित्याग स्वीकार किये जाने तक वह अपने पद पर बना रहेगा।

परिलब्धियों और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्तें ऐसी होंगी जैसे व्यवस्थापक मण्डल द्वारा निर्धारित की जायेगी।

- (2) कुलपति दूसरे कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगा।
- (3) कुलाधिपति कुलपति को, उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त, उसके उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक पद पर बने रहने का निर्देश दे सकेगा, किन्तु ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है बीमारी या अन्य किसी कारणवश अस्थायी रूप से रिक्त होता है तो प्रतिकुलपति, यदि कोई हो, अथवा वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष या, यदि संकायाध्यक्ष नहीं है तो, वरिष्ठतम प्राध्यापक नये कुलपति के नियुक्त होने तक या प्रतिस्थानी कुलपति के पुनः पदभार ग्रहण करने तक, कुलपति के कर्तव्यों का निष्पादन करेगा;

परन्तु यह कि ऐसी अंतरिम व्यवस्था, नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी। कार्यवाहक कुलपति द्वारा लिये गये निर्णय, प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन के अध्वधीन होंगे।

- (5) कुलपति कुलाधिपति को सम्बोधित कर लिखित रूप में एक माह का नोटिस देकर अपने पद का त्याग कर सकेगा;

परन्तु यह कि कुलाधिपति, परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से भी स्वीकार कर सकेगा।

अधिनियम और परिनियमों के प्राविधानों एवं कुलाधिपति तथा व्यवस्थापक मण्डल के नियन्त्रणाधीन कुलपति की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थातः—

- (क) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय की बैठक में उपस्थित होना या सम्बोधित करना,

परन्तु यह कि जब तक वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य नहीं होगा वह मत देने का अधिकारी नहीं होगा;

- (ख) विश्वविद्यालय के शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन में उत्कृष्टता अनुरक्षित करने हेतु नेतृत्व प्रदान करना एवं स्थानीय, राष्ट्रीय व वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार नये पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए पहल करना;

- (ग) विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, नियमों तथा अध्यादेशों का समुचित रूप से पालन एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

- (घ) विश्वविद्यालय या उसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों इत्यादि में अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों, कर्मचारियों एवं छात्रों में अनुशासन बनाये रखना व इस सम्बन्ध में बनाये गये परिनियमों, नियमों व अध्यादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करना;

- (ड) व्यवस्थापक मण्डल के सिवाय, विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक

आयोजित करना या आयोजित करवाना;

- (च) विधिवत् रूप से गठित चयन समितियों की संस्तुति पर विभिन्न अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान करना;

परन्तु यह कि वह अल्प कालिक अवधि हेतु जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, ऐसे अधिकारियों व शिक्षकों की नियुक्ति करना, जो विश्वविद्यालय के संचालन के लिए वह आवश्यक समझे;

- (छ) अवकाश नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करना एवं ऐसे अधिकारी व कर्मचारी की अनुपस्थिति के दौरान उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक व्यवस्था करना;
- (ज) आपातकालीन स्थिति में और जब वह अल्प सूचना में अपने अधीन किसी प्राधिकारी की बैठक बुलाने में असमर्थ हो, विश्वविद्यालय के हित में कोई उचित निर्णय लेना/कार्यावाही करना व ऐसे समस्त निर्णयों/कार्यवाहियों को अनुमोदन हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी की आगामी बैठक में सूचित करना;
- (झ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणन निकायों, राज्य सरकार, अन्य राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों एवं अन्य नियामक प्राधिकरणों, जैसी स्थिति हो, के साथ एक महत्वपूर्ण कडी के रूप में कार्य करना
- (ञ) यू0जी0सी0, डी0एस0टी0, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, एन0जी0ओ0, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय अनुदान प्राप्ति के लिए कार्यावाही करना;
- (ट) जारी किये जा चुके चैको का भुगतान रुकवाने हेतु बैंकों को निर्देश देनाय
- (ठ) राज्य व केन्द्र दोनों सरकारों की नवीनतम शैक्षिक नीतियों के बारे में अवगत रहना एवं विभिन्न संकायों/विभागों को उनके उचित कार्यान्वयन हेतु सूचित करनाय
- (ड) विश्वविद्यालय या उसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों आदि के शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों व अन्य कर्मचारियों के कार्यों का आकलन व मूल्यांकन करना एवं आवश्यकतानुसार, इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करना व ऐसे आकलन व मूल्यांकन की आख्या पर समुचित कार्यवाही करना;
- (ढ) विश्वविद्यालय के दैनिक सुचारु संचालन हेतु आवश्यकतानुसार समितियों का गठन करना तथा ऐसी समितियों की संस्तुति पर आवश्यक कार्यवाही करना; एवं
- (ण) ऐसी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करना जो उसे व्यवस्थापक मण्डल व कुलाधिपति द्वारा समय-समय पर सौंपी जाय।

प्रति कुलपति
धारा 15,

2.03

- (1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए या कुलपति के कार्यकाल की समाप्ति की अवधि, जो भी पहले हो, तक होगी। वह द्वितीय अवधि के लिए

पुनर्नियुक्ति हेतु अर्ह होगा।

- (2) प्रतिकुलपति की पात्रता के मापदण्ड, परिलब्धियाँ व सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा अध्यादेश द्वारा अवधारित की जाय।
- (3) प्रतिकुलपति, कुलपति को सहायता प्रदान करना व ऐसी-शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो उसे कुलपति एवं प्रबन्ध मण्डल द्वारा सौंपी जाय।

कुलसचिव
धारा 16 .

- 2.04 (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एवं उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी:

(क) कुलपति – अध्यक्ष;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति; तथा

(ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित एक व्यक्ति।

- (2) कुलसचिव विश्वविद्यालय का मुख्य परिचालन अधिकारी होगा एवं वह कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।

- (3) कुलसचिव की पात्रता के मापदण्ड, परिलब्धियाँ और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्तें ऐसी होंगी जैसा अध्यादेश द्वारा अवधारित की जाय।

- (4) यदि कुलसचिव का पद मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो या बीमारी या अन्य किसी कारणवश अस्थायी रूप से रिक्त हो तो कुलाधिपति, कुलपति की संस्तुति पर कुलसचिव के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति नये कुलसचिव की नियुक्ति होने तक या प्रतिस्थानी कुलसचिव के पदभार ग्रहण की अवधि के लिए कर सकेगा;

परन्तु यह कि ऐसी अंतरिम व्यवस्था, ऐसी नियुक्ति होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी।

- (5) अधिनियम व परिनियमों के प्राविधानों के अधीन कुलसचिव का –

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं प्रशासनिक कर्मी;

(ख) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मी, निरीक्षक तथा परीक्षक;

(ग) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षा अनुभाग के कर्मचारी; और

(घ) विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों के सिवाय अन्य सभी कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण होगा।

- (6) कुलसचिव, प्रबन्ध मण्डल व विद्या परिषद् द्वारा, गठित समितियों का सदस्य-सचिव होगा।

- (7) अधिनियम व परिनियमों के प्राविधानों के अधीन एवं कुलपति के नियंत्रण में कुलसचिव की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् : –

(क) विश्वविद्यालय की ओर से आधिकारिक पत्र-व्यवहार करना;

(ख) विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों की बैठकों व इनमें से किसी भी

प्राधिकारी द्वारा गठित समस्त समितियों के कार्यवृत्त का अनुरक्षण करना व सुरक्षित रखना;

- (ग) प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद व वित्त समिति की बैठकों के अनुमोदित कार्यवृत्त की एक प्रति कुलाधिपति को अग्रेषित करना;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के आयोजन एवं निरीक्षण की व्यवस्था करना;
- (ङ) कुलाधिपति, कुलपति या प्रबन्ध मण्डल के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा अथवा उसके विरुद्ध योजित वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, अनुबंधों व अन्य आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करना;
- (च) जब तक प्रबन्ध मण्डल द्वारा अन्यथा आदेश प्रदान न किया जाय, विश्वविद्यालय की समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना। वह विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों एवं परिसम्पत्तियों के उचित रख-रखाव एवं देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा;
- (छ) प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर बनाये गये परिनियमों, नियमों एवं अध्यादेशों की हस्तपुस्तिका तैयार करना एवं अद्यतन रखना एवं उन्हें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों एवं अधिकारियों को उपलब्ध कराना;
- (ज) विश्वविद्यालय की सभी गतिविधियों की वार्षिक आख्या तैयार करना व उसे प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखना;
- (झ) समय-समय पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं कुलपति को विश्वविद्यालय के समस्त महत्वपूर्ण विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सूचना देना एवं व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष ऐसी सभी जानकारी रखने के लिए बाध्य होना, जो इसके कार्य के संचालन के लिए आवश्यक हो;
- (ञ) छात्रों के प्रवेश, नामांकन, स्थानान्तरण, प्रवेश परीक्षाओं सहित विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों एवं उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों इत्यादि को प्रदान करने से सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव करना;
- (ट) विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों के कार्मिक अभिलेखों को अनुरक्षित करना;
- (ठ) अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों के कार्यों का अधीक्षण करना एवं कुलपति के पूर्वानुमोदन से उनके मध्य कार्य का वितरण करना;
- (ड) किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा संचालित जाँच के लिए सुविधा प्रदान करना एवं इस सम्बन्ध में प्रासंगिक जानकारी व अभिलेख प्रदान करना; और
- (ढ) ऐसी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करना जो उसे प्रबन्ध मण्डल एवं कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपी जाय।

संकायाध्यक्ष
धारा 17,

- 2.05 (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा। वह विश्वविद्यालय का एक मुख्य शैक्षिक अधिकारी होगा एवं कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेगा।
- (2) कुलपति द्वारा संकाय के प्राध्यापकों में से, वरिष्ठता, योग्यता एवं प्रशासनिक

अनुभव के आधार पर संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।

- (3) संकायाध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि या उसकी सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो, के लिए होगी। वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (4) ऐसा शिक्षक जो संकायाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति किया जाय, संकायाध्यक्ष के पद पर अतिरिक्त रूप से कार्य करेगा।
- (5) परिनियमों के प्राविधानों एवं कुलपति व विद्या परिषद् के नियंत्रणाधीन संकायाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् : -
 - (क) संकाय में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित शैक्षिक विकास, शिक्षा के स्तर का अनुरक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान से सम्बन्धित शैक्षिक नीतियों को कार्यान्वित करवाना;
 - (ख) कुलपति के पूर्वानुमोदन से आवश्यकतानुसार संकाय की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना;
 - (ग) संकाय की नीतियों एवं विकास कार्यक्रमों को निर्धारित करने हेतु नेतृत्व प्रदान करना एवं उन्हें उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष उनके विचार हेतु रखना;
 - (घ) छात्रों के नामांकन, पात्रता, स्थानान्तरण, छात्रवृत्ति या निःशुल्कता, परीक्षा में बैठने से सम्बन्धित समस्याओं का निवारण करना;
 - (ङ) संकाय में किसी भी विभाग द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम से सम्बन्धित कदाचार में पूछताछ करना तथा निष्कर्षों की सूचना कुलपति को देना;
 - (च) संकाय में अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्ति एवं अन्य विशिष्टता सम्मान हेतु विद्या परिषद् के समक्ष रखने हेतु प्रस्ताव बनाना; और
 - (छ) ऐसी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करना जो उसे कुलपति एवं विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर सौंपी जाय।

वित्त अधिकारी 2.6
धारा 18 ,

- (1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, एवं उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी:
 - (क) कुलपति - अध्यक्ष;
 - (ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति; एवं
 - (ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित एक व्यक्ति।
- (2) वित्त अधिकारी कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।
- (3) वित्त अधिकारी की पात्रता के मापदण्ड, परिलब्धियाँ और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्तें ऐसी होंगी जैसा अध्यादेश द्वारा निर्धारित की जाय।
- (4) वित्त अधिकारी वित्त समिति द्वारा गठित अन्य समितियों का सदस्य-सचिव होगा।
- (5) परिनियमों के प्राविधानों एवं कुलपति के नियंत्रणाधीन वित्त अधिकारी की

निम्नलिखित शक्तियों एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् : —

- (क) वित्त समिति एवं वित्त समिति द्वारा गठित समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करना एवं उनका अनुरक्षण;
- (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों एवं प्राधिकारियों द्वारा गठित निकायों की वित्तीय मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में सम्मिलित होना किन्तु मत देने का अधिकारी नहीं होगा;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किये जा रहे सभी धनराशि से सम्बन्धित उचित लेखों एवं अन्य अभिलेखों को अनुरक्षित करना;
- (घ) वार्षिक बजट व वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना एवं लेखा-परीक्षा आख्या सहित उन्हें विश्वविद्यालय के सम्बन्धित प्राधिकारियों के समक्ष रखना;
- (ङ) विश्वविद्यालय की निधियों का पर्यवेक्षण करना;
- (च) विश्वविद्यालय को किसी भी वित्तीय मामले में स्वप्रेरणा से अथवा उसके परामर्श माँगे जाने पर परामर्श देना;
- (छ) निधियों, सम्पत्तियों, निवेशों, विन्यास सम्पत्तियों एवं न्यासों के अभिलेखों का रखरखाव करना;
- (ज) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट में आवर्तक व अनावर्तक व्यय की सीमाएँ निर्धारित सीमाओं से अधिक न हो एवं आवंटित की गयी धनराशि उन्ही प्रयोजनों के लिए व्यय की जाय जिनके लिए वह स्वीकृत किये गये हैं;
- (झ) रोकड़ लेन-देन, बैंक अवधों एवं निवेशों की निगरानी करना;
- (ञ) राजस्व संग्रह की प्रगति की निगरानी करना एवं विश्वविद्यालय को राजस्व संग्रह के लिए नियोजित विधियों की सलाह देना;
- (ट) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय के लेखों के आन्तरिक एवं संविधिक लेखा परीक्षा निर्धारित रूप से कर दिया गया है;
- (ठ) आय एकत्रित करना, भुगतान संवितरित करना एवं विश्वविद्यालय के लेखों का अनुरक्षण करना;
- (ड) यह सुनिश्चित करना कि सभी अचल व पूँजीगत परिसम्पत्तियों की पंजिका तैयार हो गयी है एवं नियमित रूप से अनुरक्षित है;
- (ढ) यह सुनिश्चित करना कि सभी अचल सम्पत्ति और उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नियमित अन्तराल पर कर लिया गया है;
- (ण) विश्वविद्यालय की किसी भी समिति या व्यक्ति द्वारा किये गये अनाधिकृत व्यय या वित्तीय अनियमितताओं, यदि कोई हो के सम्बन्ध में, संबंधित से स्पष्टीकरण माँगे जाने एवं उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करने हेतु प्रस्ताव दिया जाना;
- (त) विश्वविद्यालय के किसी भी संघटक महाविद्यालय, विभाग, कार्यालय एवं केन्द्र से वित्तीय जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आवश्यक कोई भी सूचना एवं

क्विवरणी मॉगना;

- (थ) अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों के कार्यों का अधीक्षण एवं कुलपति के पूर्वानुमोदन से उनके मध्य कार्य का वितरण करना;
- (द) विश्वविद्यालय के लेखापरीक्षा एवं वित्त विभाग के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण करना; एवं
- (ध) ऐसी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करना जो उसे कुलाधिपति, कुलपति एवं विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपी जायें।

अध्याय – तीन

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

- विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी
ख़ा़रा 19 ,
- 3.01 अधिनियम की धारा 11 में वर्णित अधिकारियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे, अर्थात:-
- (क) प्रतिकुलाधिपति;
- (ख) परीक्षा-नियंत्रक;
- (ग) डीन-अनुसंधान;
- (घ) प्रधानाचार्य;
- (ङ) विभागाध्यक्ष;
- (च) पुस्तकालयाध्यक्ष; एवं
- (छ) विधि अधिकारी;
- प्रतिकुलाधिपति
धारा 19,
- 3.02 (1) कुलाधिपति के अनुरोध पर प्रायोजित संस्था द्वारा प्रतिकुलाधिपति की नियुक्ति की जा सकेगी।
- (2) प्रतिकुलाधिपति विश्वविद्यालय का मानद अधिकारी होगा।
- (3) प्रतिकुलाधिपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। वह पुनर्नियुक्ति हेतु अर्ह होगा।
- (4) प्रतिकुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे व्यवस्थापक मण्डल एवं कुलाधिपति द्वारा समय-समय पर सौंपी जायें।
- परीक्षा नियंत्रक
धारा 19,
- 3.03 (1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एवं उसकी नियुक्ति प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी:
- (क) कुलपति – अध्यक्ष;
- (ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति; एवं
- (ग) प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित एक व्यक्ति।
- (2) परीक्षा नियंत्रक का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि या उसकी सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो, के लिए होगी। वह पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगा।

- (3) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का आयोजन करवाने एवं उनके परिणामों की घोषणा करवाने हेतु प्रमुख अधिकारी होगा। वह कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।
- (4) परीक्षा नियंत्रक की पात्रता के मापदण्ड, परिलब्धियां और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्तें ऐसी होंगी जैसा अध्यादेश द्वारा अवधारित किया जाय।
- (5) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा मण्डल एवं उसके द्वारा गठित समितियों का सदस्य-सचिव होगा।
- (6) परिणियमों के प्राविधानों के अधीन एवं कुलपति के नियंत्रण में परीक्षा नियंत्रक की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाएँ भी सम्मिलित हैं के स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारु, नियमित एवं समयबद्ध आयोजन और उनके परिणामों की घोषणा करने से सम्बन्धित सभी आवश्यक व्यवस्था करना;
 - (ख) प्रासंगिक संकायों के संकायाध्यक्षों के परामर्श पर अग्रिम रूप से परीक्षाओं की समय सारणी व योजना तैयार करना व उनकी घोषणा करना;
 - (ग) परीक्षा मण्डल के अनुमोदन पर प्रश्न-पत्र बनाने वालों, परीक्षकों, सारणीकारों/संशोधकों, अनुसूचकों, पर्यवेक्षकों, सचलदलों आदि की नियुक्ति करना;
 - (घ) कुलपति के पूर्वानुमोदन से परीक्षा केन्द्रों को विनिश्चित करना एवं केन्द्र अधीक्षकों की नियुक्ति करना;
 - (ङ) सचलदलों व पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण की व्यवस्था करना;
 - (च) प्रश्न पत्रों के मुद्रण की व्यवस्था करना एवं गोपनीयता बनाये रखना;
 - (छ) संघटक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं विभागाध्यक्षों के साथ छात्रों के नामांकन एवं परीक्षाओं के आयोजन के सम्बन्ध में समन्वय बनाना;
 - (ज) परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के उचित मूल्यांकन की व्यवस्था करना एवं तदनुसार परीक्षा परिणामों को संशोधित करना;
 - (झ) परीक्षाओं के परिणामों को सम्बन्धित संघटक महाविद्यालय एवं विभाग को सूचित करना एवं परिणामों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाशित करना;
 - (ञ) परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के डेटाबेस को बनाये रखना;
 - (ट) मानद उपाधियों के सिवाय उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों इत्यादि के प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों के नाम कुलसचिव को प्रेषित करना;
 - (ठ) परीक्षाओं के आयोजन एवं परिणामों की घोषणा से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का अभिरक्षक के रूप में कार्य करना;
 - (ड) कदाचार की स्थिति में या परिस्थितियों के कारण कुलपति के पूर्वानुमोदन से परीक्षाओं को स्थगित एवं रद्द करना तथा स्थिति के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करना या संस्तुत करना या कदाचार के आरोपित किसी

व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या महाविद्यालय या संस्थान पर, दीवानी या फौजदारी कार्यवाही की शुरुआत करने हेतु संस्तुति करना;

- (द) आवश्यकता पड़ने पर, परीक्षा के सम्बन्ध में कदाचार के दोषी अभ्यर्थियों, प्रश्न-पत्र तैयार कर्ताओं, परीक्षकों, अनुसीमकों या परीक्षाओं से सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करना;
- (ण) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों की समय-समय पर समीक्षा व मूल्यांकन करना एवं इसकी आख्या कुलपति को प्रेषित करना;
- (त) परीक्षा में निरंतर सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना ताकि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बन्धित मौजूदा अध्यादेशों को अद्यतन किया जा सके एवं इस सम्बन्ध में नये अध्यादेशों का प्रस्ताव देना;
- (थ) परीक्षाओं के आयोजन से सम्बन्धित परीक्षक, पर्यवेक्षक, निरीक्षक, प्रश्न-पत्र तैयार कर्ताओं, सारणीकार/संशोधक, प्रेक्षक, अनुसीमक एवं अन्य कोई व्यक्ति जो गोपनीय कार्य हेतु नियुक्त किया गया हो, के विभिन्न यात्रा/मंहगाई व पारिश्रमिक भत्तों को प्रतिहस्ताक्षरित करना एवं अनुमोदित करना;
- (द) गोपनीय निधियों के खातों को तैयार एवं उन्हें अनुरक्षित करना, सम्बन्धित प्राधिकारी से उनकी जाँच करवाकर प्रतिहस्ताक्षरित करवाना एवं ऐसे सभी गोपनीय लेनदेन या खातों का स्थाई अभिलेख रखना;
- (ध) परीक्षा मण्डल व उसके द्वारा गठित अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त तैयार व अनुरक्षित करना;
- (न) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों व उनके द्वारा गठित समितियों द्वारा लिये गये परीक्षा प्रणाली से सम्बन्धित निर्णयों का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
- (प) अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों के कार्यों का अधीक्षण एवं कुलपति के पूर्वानुमोदन से उनके मध्य कार्य का वितरण करना;
- (फ) परीक्षा अनुभाग के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखना; और
- (ब) ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे सभी अन्य कर्तव्यों का पालन जो उसे कुलपति एवं विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपी जाय।

डीन अनुसंधान
धारा 19,

3.04

- (1) डीन अनुसंधान की नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा की जायेगी।
- (2) डीन अनुसंधान का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि या उसकी सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो, के लिए होगी। वह पुर्ननियुक्ति के लिए अर्ह होगा।
- (3) डीन अनुसंधान, विश्वविद्यालय के अनुसंधान गतिविधियों का प्रधान होगा एवं कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।
- (4) डीन अनुसंधान की पात्रता के मापदण्ड, परिलब्धियाँ और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्तें ऐसी होंगी जैसा अध्यादेश द्वारा अवधारित की जाय।

- (5) शिक्षक जो कि डीन अनुसंधान के पद पर नियुक्ति हुआ हों, अपने सौंपे गये कर्तव्यों के अतिरिक्त डीन अनुसंधान के रूप में कार्य करेगा।
- (6) परिनियमों के प्राविधानों एवं कुलपति के नियन्त्रणाधीन डीन अनुसंधान की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
- (क) विश्वविद्यालय की अनुसंधान समिति की अध्यक्षता करना;
- (ख) विश्वविद्यालय एवं इसके संकायों, संघटक महाविद्यालयों एवं विभागों में की जा रही अनुसंधान गतिविधियों में समन्वय बनाना ;
- (ग) विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुसंधान के अवसर, अनुदान व परामर्श योजनाओं हेतु सम्बन्ध स्थापित करना एवं आवश्यक प्रस्तावों को तैयार करना व जमा कराना व अपेक्षित अनुवर्तन करना;
- (घ) विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों व अनुसंधान संगठनों के साथ अनुसंधान अनुबन्ध व गठबन्धन स्थापित करना व अनुरक्षण सुनिश्चित करना;
- (ङ) अनुसंधान गतिविधियों एवं परामर्श योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखना, समग्र समन्वय बनाना एवं निर्णयों का परिपालन सुनिश्चित करना;
- (च) अनुसंधान गतिविधियों की आवधिक प्रगति आख्याएँ तैयार करना एवं उन्हें विश्वविद्यालय के उचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना;
- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अनुसंधान से सम्बन्धित अभिलेखों का समुचित संग्रहण सुनिश्चित करना;
- (ज) विभिन्न नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय में अनुसंधान का संचालन सुनिश्चित करना;
- (झ) विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के सुचारु संचालन के लिए कुलसचिव, वित्त अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना;
- (ञ) विश्वविद्यालय द्वारा किए गये नये आविष्कार, खोज या बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा पेटेन्ट/ट्रेडमार्क/कॉपी राईट द्वारा सुनिश्चित करना;
- (ट) विभिन्न एजेन्सियों के साथ अनुसंधान एवं विकास हेतु हस्ताक्षरित संस्थापन प्रालेख की निबन्धन एवं शर्तों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करवाना एवं आवश्यकतानुसार संस्थापन प्रालेख का नवीनीकरण करना;
- (ठ) विश्वविद्यालय का अनुसंधान बजट तैयार करना व उसे वित्त अधिकारी को प्रस्तुत करना एवं बजट का उपयोग उसके प्रयोजन के अनुसार सुनिश्चित करना; एवं
- (ड) ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे सभी अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे कुलपति एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे जाय।

- 3.05 (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संघटक महाविद्यालय में एक प्रधानाचार्य होगा जो संघटक महाविद्यालय का शैक्षिक, प्रशासनिक एवं शोध का प्रमुख होगा।
- (2) प्रधानाचार्य की नियुक्ति प्रबन्ध मण्डल द्वारा चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी।
- (3) प्रधानाचार्य का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि या उसकी सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो, के लिए होगा। किसी दूसरे उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में वह पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगा।
- (4) प्रधानाचार्य कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।
- (5) प्रधानाचार्य की पात्रता का मापदण्ड, परिलब्धियां और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्तें ऐसी होंगी जैसे अध्यादेश द्वारा अवधारित की जाय।
- (6) शिक्षक जो प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हुआ हों, अपने सौंपे गये कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करेगा।
- (7) परिनियमों के प्राविधानों एवं कुलपति के नियन्त्रणाधीन में प्रधानाचार्य की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् : -
- (क) संघटक महाविद्यालय में विश्वविद्यालय या प्रासंगिक वैधानिक परिषद् द्वारा निर्धारित मानको के अनुसरण में उत्कृष्ट शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करना;
- (ख) संघटक महाविद्यालय में प्रासंगिक वैधानिक परिषद् एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की व्यवस्था करना;
- (ग) संघटक महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों की निगरानी करना व समन्वय बनाये रखना;
- (घ) संघटक महाविद्यालय की शैक्षणिक, अनुसंधान गतिविधियों व विश्वविद्यालय के अन्य मामलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित संकायाध्यक्ष को अद्यतन जानकारी प्रदान करना एवं सहायता करना;
- (ङ) संघटक महाविद्यालय से सम्बन्धित अनुसंधान गतिविधियों हेतु डीन अनुसंधान से समन्वय बनाये रखना;
- (च) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के विनिश्चयों एवं नीतियों को कार्यान्वित करना;
- (छ) संघटक महाविद्यालय की चल या अचल सम्पत्ति का अनुरक्षण एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव व वित्त अधिकारी से इस सम्बन्ध में समन्वय बनाये रखना;
- (ज) निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार, संघटक महाविद्यालय के शैक्षणिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों के मूल्यांकन हेतु, कुलपति को सहायता प्रदान करना;
- (झ) संघटक महाविद्यालय के शैक्षणिक कर्मियों, कर्मचारियों व छात्रों में अनुशासन बनाये रखना एवं इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करना;
- (ञ) संघटक महाविद्यालय के विभिन्न विभागों की शैक्षणिक गतिविधियों में

समन्वय बनाये रखना;

- (ट) संघटक महाविद्यालय में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का आयोजन एवं पर्यवेक्षण एवं अनियमितताओं, यदि कोई हो, की सूचना परीक्षा नियंत्रक को देना;
- (ठ) संघटक महाविद्यालय के सुचारु संचालन एवं समग्र विकास हेतु विभिन्न समितियाँ का गठन करना;
- (ड) प्रासंगिक वैधानिक निकाय एवं अन्य एजेंसीयों से सम्बन्धित विनियमों पर अद्यतन रहना;
- (ढ) संघटक महाविद्यालय का बजट तैयार करके उसे वित्त अधिकारी को प्रस्तुत करना एवं बजट का उपयोग उसके प्रयोजन के अनुसार सुनिश्चित करना;
- (ण) संघटक महाविद्यालय में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यों के लिए आवश्यक समस्त उपस्कर, उपकरण, यंत्र एवं अन्य- सामग्री का क्रय एवं रख-रखाव करने हेतु समुचित कार्यावाही करना;
- (त) संघटक महाविद्यालय में छात्रों की गतिविधियों एवं उनके कल्याण से सम्बन्धित समस्त मामलों में समुचित कार्यावाही करना;
- (थ) छात्रों से सम्बन्धित सभी मामलों में कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक व संकायाध्यक्ष के साथ समन्वय बनाये रखना;
- (द) संघटक महाविद्यालय के छात्रावासों के संचालन का पर्यवेक्षण करना;
- (ध) संघटक महाविद्यालय की गतिविधियों की आवधिक व वार्षिक आख्याएँ तैयार और उन्हें विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना;
- (न) नियोक्ता व कर्मचारी के सम्बन्धों में सौहार्द बढ़ाना; और
- (प) ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे सभी अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपी जाय।

विभागाध्यक्ष
धारा 19,

3.6

- (1) विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के सभी विभागों में एक प्रमुख होगा जो कि विभाग के प्राध्यापकों के मध्य से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

परन्तु यह कि विभाग में कोई प्राध्यापक न होने की दशा में कुलपति किसी सह-प्राध्यापक को विभागाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा।

- (2) विभागाध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि सामान्यतः 03 (तीन) वर्ष या उसकी सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो, के लिए होगी। वह उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति में पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगा।
- (3) विभागाध्यक्ष संगठक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के समग्र पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन एवं मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगा।
- (4) शिक्षक जो कि विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुआ हों, सौंपे गये कर्तव्यों के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
- (5) परिनियमों के प्राविधानों एवं प्रधानाचार्य संघटक महाविद्यालय के नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित वैधानिक परिषद् के दिशानिर्देशों के अनुरूप स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षण व प्रशिक्षण के उच्च मापदण्ड बनाये रखना;
- (ख) शैक्षणिक कर्मियों के शिक्षण एवं अनुसंधान विकास हेतु विभाग में उचित वातावरण प्रदान करना;
- (ग) शैक्षणिक कर्मियों को प्रति ठापित, प्रेरित, प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शित करके विभाग में नवीन अनुसंधान को नेतृत्व प्रदान करना एवं दिशानिर्देशित करना;
- (घ) शैक्षणिक कर्मियों एवं छात्रों के समग्र विकास के लिए उन्हें विभाग की सुविधाएँ एवं संसाधन उपलब्ध कराना;
- (ङ) शैक्षणिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार, प्रशिक्षण/पुरस्कार/सम्मान/प्रशस्ति आदि हेतु जब व जहाँ आवश्यक हो, उच्च प्राधिकारियों को नामित/संस्तुत करना;
- (च) विभाग के शैक्षणिक कर्मियों, कर्मचारियों व छात्रों में अनुशासन बनाये रखना व प्रधानाचार्य संघटक महाविद्यालय के परामर्श से आवश्यकतानुसार उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करना;
- (छ) विभाग के शैक्षणिक कर्मियों व अन्य कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं विभाग के सुचारु संचालन हेतु उत्तरदायित्व सौंपना;
- (ज) विभाग की गतिविधियों व सम्पत्तियों के आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव एवं अनुरक्षण;
- (झ) पूर्ण न्यायोचित रूप से विभाग का वार्षिक बजट तैयार एवं उसे प्रधानाचार्य संघटक महाविद्यालय को प्रस्तुत करना;
- (ञ) विभाग की गतिविधियों की आवधिक व वार्षिक आख्याएँ तैयार एवं उन्हें प्रधानाचार्य संघटक महाविद्यालय को प्रस्तुत करना;
- (ट) विभाग के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श व समाधान हेतु मासिक विभागीय बैठकों का आयोजन एवं कार्यवृत्त को प्रधानाचार्य संघटक महाविद्यालय को प्रस्तुत करना;
- (ठ) आवश्यक सूचना/परिपत्रों को विभाग के शैक्षणिक कर्मियों व अन्य कर्मचारियों के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करना;
- (ड) शैक्षणिक कर्मियों, अन्य कर्मचारियों व छात्रों के विभाग से सम्बन्धित असन्तोष के समस्त मामलों पर अमल एवं उपयुक्त समाधान करना;
- (त) समय-समय पर प्राधिकारियों द्वारा जारी आदेशों, नीतियों एवं निर्देशों का निःपादन व परिपालन करना;
- (थ) संस्थागत लक्ष्य में उत्कृष्टता हेतु प्रशासनिक, शैक्षिक एवं अनुसंधान की अन्तर-विभागीय गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना/सहयोग करना;
- (द) विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित किये लक्ष्यों के अनुसार विभाग की भावी उन्नति के लिए नवीन दूरदर्शिता प्रदान करना; और

पुस्तकालयाध्यक्ष
धारा 19,

3.7

(ध) ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे समय-समय पर सौंपी जाय।

(1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति प्रबन्ध मण्डल द्वारा चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी।

(2) वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एवं कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।

(3) पुस्तकालयाध्यक्ष की पात्रता के मापदण्ड, परिलब्धियाँ और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्तें ऐसी होंगी जैसा अध्यादेश द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(4) कुलपति, किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कोई या समस्त कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(5) परिनियमों के प्राविधानों एवं कुलपति के नियन्त्रणाधीन पुस्तकालयाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात : -

(क) विश्वविद्यालय के समस्त पुस्तकालयों का पर्यवेक्षण व अनुरक्षण करना;

(ख) सभी संघटक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के परामर्श पर पुस्तकालय का वार्षिक बजट तैयार करना व इसे वित्त अधिकारी को प्रस्तुत करना;

(ग) पुस्तकालय के लिए निश्चित बजट का निर्दिष्ट उद्देश्यों एवं समय पर उपयोग सुनिश्चित करना;

(घ) शैक्षणिक कर्मियों, विद्वानों एवं छात्रों के शोध पत्र, शोध प्रबन्ध, शोध निबन्ध एवं प्रकाशन के अभिलेखों का अनुरक्षण करना;

(ङ) जर्नल की सदस्यता का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करना;

(च) द्वि-मासिक अंतराल पर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का न्यूजलेटर तैयार करना;

(छ) पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र की नई प्रौद्योगिकियों और अवधारणाओं के साथ अद्यतन रहना;

(ज) विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायाध्यक्षों, संघटक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों व अधिकारियों से उनकी पुस्तको, पत्र-पत्रिकाओं व जर्नलों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में समन्वय बनाये रखना;

(झ) पुस्तकालय में अनुशासन बनाए रखना एवं विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक कर्मियों, अन्य कर्मचारियों या छात्रों के विरुद्ध कुलपति को उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुत करना; एवं

(ट) ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे सभी अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे समय-समय पर सौंपी जाय।

विधि अधिकारी
धारा 19,

3.8

(1) प्रबन्ध मण्डल के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय निम्नलिखित के लिए एक विधि प्रकोष्ठ का गठन कर सकेगा :-

- (क) विश्वविद्यालय के सभी कानूनी मामलों का निपटारा करने हेतु;
- (ख) विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों एवं विभिन्न सरकारी निकायों की घोषणाओं के आधार पर विधिक मामलों में विश्वविद्यालय को परामर्श देने हेतु;
- (ग) अधिनियम, परिनियमों व अध्यादेशों की व्याख्या से सम्बन्धित मामलों पर राय प्रदान करने हेतु; और
- (घ) परिनियमों, नियमों, अध्यादेशों एवं नीतियों को बनाने में आवश्यकतानुसार विधिक सहयोग प्रदान करने हेतु।
- (2) विधि अधिकारी की नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा की जायेगी।
- (3) विधि अधिकारी कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।
- (4) विधि अधिकारी की पारिश्रमिक एवं नियुक्ति की अन्य निबन्धन व शर्तें ऐसी होगी जैसे अध्यादेश द्वारा अवधारित की जाय।
- (5) विधि अधिकारी के पात्रता के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे—
- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम विधि स्नातक का डिग्री धारक के साथ विधि के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त; अथवा
- (ख) न्यायिक सेवा में न्यूनतम सीनियर डिविजन सिविल जज के पद पर कार्यरत रहा हो।
- (6) विधि अधिकारी ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति एवं कुलसचिव द्वारा समय-समय पर सौंपी जाय।

अध्याय— चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- | | | |
|---------------------------|------|---|
| व्यवस्थापक मण्डल धारा 21, | 4.01 | <p>(1) व्यवस्थापक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति करेगा। उसकी अनुपस्थिति में कुलाधिपति द्वारा नामित कोई सदस्य ऐसी विशेष बैठक की अध्यक्षता करेगा।</p> <p>(2) व्यवस्थापक मण्डल की बैठक के लिए गणपूर्ति, मण्डल की कुल नियुक्त सदस्यता की 3/5 (तीन/पाँच) होगी।</p> <p>(3) पदेन सदस्यों के सिवाय, व्यवस्थापक मण्डल के सभी सदस्य, अपने नियुक्ति की तिथि से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्य होंगे एवं पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे।</p> |
| प्रबन्ध मण्डल धारा 22, | 4.02 | <p>(1) प्रबन्ध मण्डल की बैठक का आयोजन एवं अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जायेगी। उसकी अनुपस्थिति में प्रति कुलपति, यदि कोई हो, बैठक की अध्यक्षता करेगा।</p> <p>(2) प्रबन्ध मण्डल की बैठक के लिए गणपूर्ति मण्डल की कुल नियुक्त सदस्यता की 1/2 (आधा) होगी।</p> <p>(3) प्रबन्ध मण्डल की एक वर्ष में कम से कम 04 (चार) बैठकें होगी एवं उसकी</p> |

पिछली व आगामी बैठक के मध्य चार माह से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

(4) पदेन सदस्यों के सिवाय प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से 03 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए सदस्य होंगे एवं पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे।

(5) प्रबन्ध मण्डल, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारिणी निकाय होगा एवं विश्वविद्यालय के सुचारु व कुशल संचालन हेतु सभी आवश्यक निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगा।

(6) व्यवस्थापक मण्डल के नियन्त्रण में एवं परिनियमों के प्राविधानों के अधीन, प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मामलो का प्रबन्धन करना एवं इस उद्देश्य के लिए ऐसी शक्तियों व कर्तव्यों के साथ ऐसे व्यक्तियों अथवा अधिकारियों की नियुक्ति करना जैसा उचित समझें;

(ख) विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन हेतु अध्यादेश बनाना, अध्यादेशों में संशोधन व अध्यादेशों को रद्द करना;

(ग) विद्या परिषद् व वित्त समिति के परामर्श पर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित व प्रबन्धित संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रो व अध्ययन केन्द्रो के लिए, शैक्षणिक, गैर- शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पदों का सृजन एवं उन्मूलन करना, पदों की संख्या, पदों हेतु योग्यता एवं पदों के संवर्ग का निर्धारण करना;

(घ) चयन समितियों की संस्तुति पर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एवं प्रबन्धित विभिन्न संघटक महाविद्यालयों विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रो व अध्ययन केन्द्रो के लिए आवश्यकतानुसार शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवं वित्त समिति के परामर्श पर उनकी परिलब्धियाँ निर्धारित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों के कर्तव्यों एवं सेवा शर्तों का निर्धारण करना;

(च) अधिकारियों, प्रशासनिक कर्मियों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पात्रता के मापदण्ड निर्धारित करना;

(छ) विद्या परिषद् के परामर्श पर शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति हेतु पात्रता के मापदण्ड निर्धारित करना;

(ज) विभिन्न परामर्शदाताओं, पेशेवरों, सलाहकारों एवं अधिवक्ताओं की सेवाएँ रिटेनरशिप के आधार पर या आपसी सहमति द्वारा निर्धारित निबन्धनों व शर्तों पर लेनाय

(झ) आपसी सहमति द्वारा निर्धारित निबन्धनों व शर्तों पर आगंतुक अध्यापकों एवं आगंतुक प्राध्यापकों की नियुक्ति करनाय

(ञ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलपति, कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी के सिवाय), शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों व अन्य कर्मचारियों में

अनुशासन बनाये रखना एवं आवश्यकता पड़ने पर उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करना;

- (ट) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं छात्रों की समस्याओं का समाधान करना;
- (ठ) विद्या परिषद् की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों एवं विभागों में डी०एस०सी०, पी०एच०डी०, एम०फिल०, स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट कार्यक्रम प्रारम्भ करना, स्थगित करना या समाप्त करना;
- (ड) प्रासंगिक वैधानिक परिषद् के मानकों के अनुसरण या अन्यथा विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या का निर्धारण करना;
- (ढ) विद्या परिषद् व वित्त समिति की सलाह पर किसी संकाय या विभाग का सृजन करना, एवं शिक्षा व अध्ययन, शिक्षण व अनुसंधान के क्षेत्रों का आवंटन करना;
- (ण) विद्या परिषद् की सलाह पर किसी संकाय या विभाग का उन्मूलन, विलय या पुनर्गठन करना;
- (त) विश्वविद्यालय में पढ़ाये जा रहे समस्त पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षा जिसमें प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा भी सम्मिलित है, का आयोजन करना व इनके परिणामों को घोषित करना;
- (थ) डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं अन्य शैक्षणिक खिताब एवं विशिष्टताओं को प्रदत्त करना, देना या पुरस्कृत करना तथा विद्या परिषद् की संस्तुति पर इन्हे वापस लेना;
- (द) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अन्य एजेन्सियों के स्वामित्व एवं प्रबन्धन वाले छात्रावासों को मान्यता प्रदान करना, इन पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण बनाये रखना व ऐसी मान्यता को रद्द करना;
- (ध) वित्त समिति के परामर्श पर विश्वविद्यालय, उसकी शैक्षिक इकाईयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों के विभिन्न अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन ढाँचे एवं वेतनमान का सृजन करना, उन्मूलन करना या संशोधित करना;
- (न) अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों के लाभ हेतु विधि द्वारा अपेक्षित ऐसी पेंशन, बीमा, भविष्य निधि एवं अनुतोषिका योजनाओं को गठित करने हेतु व्यवस्थापक मण्डल को संस्तुत करना;
- (प) विश्वविद्यालय की किसी भी अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण, प्रबन्धन एवं अपवहन से सम्बन्धित मामलों हेतु व्यवस्थापक मण्डल को सलाह देना;
- (फ) विश्वविद्यालय की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति को उपबन्धित करना, स्थापित करना, व्यवस्थित करना एवं अनुरक्षित करना;
- (ब) व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की

प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना एवं ऋण प्राप्त करना;

- (भ) विश्वविद्यालय या इसके संघटक महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों के प्रयोजनार्थ दान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करने हेतु तथा किसी चल-अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करने, धारण करने, प्रबन्धन करने, अनुरक्षण करने, हस्तान्तरित करने व निपटारा करने हेतु प्रायोजित संस्था को अनुरोध करने हेतु व्यवस्थापक मण्डल को संस्तुत करना;
- (म) व्यवस्थापक मण्डल को नये महाविद्यालयों, विद्यालयों एवं शैक्षिक केन्द्रों की स्थापना हेतु संस्तुति प्रदान करना;
- (य) व्यवस्थापक मण्डल को नये क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने व मान्यता प्रदान करने हेतु संस्तुति देना;
- (कक) विश्वविद्यालय की किसी भी सम्पत्तियों एवं परिसम्पत्तियों पर या प्रतिभूतियों के बिना जैसा उचित समझे ऐसे निबन्धनों व शर्तों पर ऋण एकत्र करने व धन उधार लेने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने हेतु विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अधिकृत करना;
- (कख) व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से धन एकत्रित करने के सभी प्रासंगिक व्यय को विश्वविद्यालय की निधियों से चुकाना एवं उधार लिया गया कोई भी धन चुकाना व धन छुड़ाना;
- (कग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं छात्रों के परिकलित लाभ हेतु संघों, संस्थानों, निधियों, न्यासों एवं सम्प्रेषणों की स्थापना एवं सहयोग के लिए व्यवस्थापक मण्डल को संस्तुति प्रदान करना;
- (कघ) विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, सरकारी एवं गैर सरकारी एजेन्सियों, संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों एवं सोसाइटियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने हेतु अनुमोदन देना;
- (कड.) विश्वविद्यालय के लिए प्रतीक, ध्वज, प्रतीकचिन्ह व आदर्शवाक्य चुनना एवं विश्वविद्यालय की कॉमन सील बनाना एवं उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना एवं प्रयोग के लिए उपबन्ध करना;
- (क च) विद्या परिषद के परामर्श पर अधिछात्रवृत्तियों सहित, यात्रा अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, पदको, पुरस्कारों एवं अन्य शैक्षणिक विशेषताओं को स्थापित करना या निलम्बित करना या रद्द करना;
- (क छ) सरकारी/गैर-सरकारी एजेन्सियों एवं अन्य वैज्ञानिक परिषदों व निकायों के समक्ष किसी अधिकारी या अपने प्रतिनिधि को विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व हेतु अधिकृत करना;
- (क ज) विश्वविद्यालय की किसी भी निधि को, उन निवेश माध्यम में जिनमें विधि द्वारा अनुमति प्राप्त हो, निवेश करने के लिए व्यवस्थापक मण्डल को संस्तुत करना;

- (क झ) वित्त समिति के परामर्श पर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क एवं अन्य प्रभारों को निर्धारित करना, संशोधित करना व एकत्रित करना;
- (क ज) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करने हेतु अपील करना;
- (क ट) अनुदान, दान, योगदान, उपहार, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, शुल्क एवं अन्य धन प्राप्त करना;
- (क ठ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की बैलेंसशीट सहित विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा विवरण की समीक्षा करना एवं उक्त को व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना;
- (क ड) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की समीक्षा करना एवं उक्त को व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना;
- (क ढ) विश्वविद्यालय की गतिविधियों की वार्षिक आख्या की समीक्षा करना व उक्त को व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना;
- (क ण) विश्वविद्यालय के लेखों का, ऐसे अन्तराल पर जैसा वह उचित समझे, आन्तरिक लेखा-परीक्षण कराना;
- (क त) वित्त समिति के परामर्श पर, परीक्षाओं के लिए नियुक्त परीक्षकों, अनुसूचकों, सारणीकारों, एवं ऐसे अन्य कर्मियों की परिलब्धियों एवं यात्रा व अन्य भत्ते निर्धारित करना;
- (क थ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा, विश्वविद्यालय के अधिकारिक प्रयोजनों के लिए की गयी यात्राओं के लिए यात्रा व अन्य भत्ते निर्धारित करना;
- (क द) विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित केन्द्रों पर दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत नामांकित छात्रों के लिए अनुदेश एवं परीक्षाओं की व्यवस्था कराना एवं
- (क ध) ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य सभी कृत्यों का निर्वहन करना जो व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समय-समय पर सौंपी जाय या विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक हों।

विद्या परिषद्
धारा 23,

4.03 (1) विद्या परिषद् के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे: -

- (क) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (ख) परीक्षा नियंत्रक;
- (ग) डीन अनुसंधान;
- (घ) संघटक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य;
- (ङ) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्षों के लिए नामित तीन शिक्षाविद जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों;
- (च) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर प्रत्येक संकाय से दो वर्षों के

लिए नामित दो विभागाध्यक्ष;

(छ) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर, प्रत्येक संकाय से दो वर्षों के लिए नामित एक प्राध्यापक अथवा सह प्राध्यापक यथास्थिति जो विभागाध्यक्ष न हो;

(ज) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर प्रत्येक संकाय से दो वर्षों के लिए नामित एक सह-प्राध्यापक;

(झ) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर प्रत्येक संकाय से दो वर्षों के लिए नामित एक सहायक प्राध्यापक; तथा

(ञ) विद्या परिषद् द्वारा तीन वर्षों के लिए उनके विशेष ज्ञान के लिए सहयोजित तीन व्यक्ति जो कि शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग का सदस्य न हो।

(2) एक संकाय से नामित सदस्य तब तक दूसरी अवधि के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि उस संकाय के दूसरे सभी शिक्षक अपनी पहली अवधि पूरी न कर लें।

(3) विद्या परिषद् की बैठक का आयोजन एवं अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जायेगी। उसकी अनुपस्थिति में, प्रति कुलपति, यदि कोई हो, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) विद्या परिषद् की बैठक चार माह में न्यूनतम एक बार आयोजित की जायेगी;

परन्तु यह कि आवश्यकतानुसार विद्या परिषद् की बैठक का आयोजन कभी भी किया जा सकेगा।

(5) विद्या परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति परिषद् के कुल नियुक्त सदस्यों की 2/5 (दो/पाँच) होगी।

(6) प्रबन्ध मण्डल के नियंत्रण एवं परिणियमों के प्राविधानों के अधीन विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होगी, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों पर सामान्य प्रयवेक्षण रखना एवं अनुदेशों के तरीको, मूल्यांकन, शोध व शैक्षिक मानको में सुधार के सम्बन्ध में निर्देश देना;

(ख) विश्वविद्यालय में शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध व परीक्षाओं का स्तर अनुरक्षित रखना;

(ग) संघटक महाविद्यालयों एवं विभागों के मध्य शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध के सम्बन्ध में समन्वय बनाये रखना;

(घ) विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा देना एवं समय-समय पर ऐसे शोध की आख्या माँगना;

(ङ) शैक्षिक हितों के मामलो पर स्वयं पहल करके या प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों पर विचार करना एवं समुचित कार्यवाही करना;

- (च) विभिन्न अध्ययन मण्डलो एवं संकायों की संस्तुतियों पर विचार करना एवं अनुमोदन प्रदान करना;
- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं की समीक्षा करना;
- (ज) अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों की डिग्रियों एवं डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करना एवं विश्वविद्यालय की डिग्रियों व डिप्लोमाओं से इनकी समतुल्यता निर्धारित करना;
- (झ) विभिन्न शैक्षिक बोर्डों एवं निकायों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों को मान्यता प्रदान करना;
- (ञ) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया एवं पात्रता के मापदण्ड निर्धारित करना;
- (ट) विश्वविद्यालय की डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों एवं अन्य शैक्षणिक खिताबों हेतु अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्धारित करना;
- (ठ) प्रबन्ध मण्डल को निम्नलिखित हेतु संस्तुति करना:-
- (एक) शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के मानकों में सुधार के लिए उपाय।
- (दो) अधिछात्रवृत्तियाँ, यात्रा अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, पदक, पुरस्कार इत्यादि को संस्थित करना।
- (तीन) किसी विभाग या संकाय का सृजन करना, उन्मूलन करना, विलय करना या पुनर्गठित करना एवं अध्ययन, शिक्षण व अनुसंधान के क्षेत्रों का आवंटन करना।
- (चार) शैक्षणिक एवं शोध पदों का सृजन।
- (पांच) विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों या विभागों में डी०एस०सी०, पी०एच०डी०, एम०फिल०, स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना।
- (छः) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं का प्रतिष्ठापन करना।
- (सात) शैक्षणिक मामलों के अध्यादेशों का सृजन करना, में संशोधन करना व का निरसन करना।
- (आठ) विभिन्न शिक्षकों के लिए योग्यता की शर्तें एवं अतिरिक्त योग्यता, यदि कोई हो, का निर्धारण करना।
- (नौ) विशेष अध्ययन, शोध व उच्च शिक्षा के केन्द्रों, संस्थानों व शैक्षणिक सेवा इकाई को स्थापित करने हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
- (ड) संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों की गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा करना एवं अनुदेश के मानकों को बनाये रखने एवं सुधार करने के लिए उचित कार्यवाही करना;
- (ढ) प्रश्न-पत्र तैयार कर्ताओं, परीक्षकों, अनुसूचकों एवं परीक्षाओं के संचालन से सम्बन्धित अन्य की नियुक्ति की योग्यताएँ एवं मापदण्ड निर्धारित करना;
- (ण) मौजूदा पाठ्यक्रमों एवं बदलती सामाजिक आवश्यकताओं या नये ज्ञान के प्रकाश में इनमें संशोधन की वांछनीयता की आवधिक समीक्षा करना;

- (त) विश्वविद्यालय को सभी शैक्षणिक मामलों पर सलाह देना; एवं
- (थ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा सौंपी जाय एवं विश्वविद्यालय के शैक्षिक विकास के अनुकूल हो।

वित्त समिति
धारा 24,

- 4.04 (1) वित्त समिति के अन्य सदस्य होंगे:—
- (क) प्रायोजक संस्था द्वारा नामित दो व्यक्ति;
- (ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति; एवं
- (ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित लेखांकन व्यवसाय से जुड़ा एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो।
- (2) पदेन सदस्यों को छोड़कर, वित्त समिति के सभी सदस्य, अपनी नियुक्ति की तिथि से 03 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए सदस्य होंगे एवं अगले कार्यकाल के लिए अर्ह होंगे।
- (3) वित्त समिति की बैठकों का आयोजन व अध्यक्षता कुलपति करेगा।
- (4) वित्त समिति की बैठक एक वर्ष में न्यूनतम दो बार होगी।
- (5) वित्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति समिति के कुल नियुक्त सदस्यों की 3/5 (तीन/पाँच) होगी।
- (6) प्रबन्ध मण्डल के नियंत्रण एवं परिनियमों के प्राविधानों के अधीन वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, अर्थात्:—
- (क) विश्वविद्यालय की आय एवं संसाधनों के आधार पर, विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट तैयार करना एवं वार्षिक आवर्तक व अनावर्तक व्यय की सीमाएँ निर्धारित करना;
- (ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा आख्या का परीक्षण एवं समीक्षा करना;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यय निश्चित किये गये व्यय की सीमा से अधिक नहीं है;
- (घ) बजट में वर्णित व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमोदन हेतु कुलाधिपति को संस्तुति भेजना;
- (ङ) प्रबन्ध मण्डल को प्रस्तावित नये महाविद्यालयों, शैक्षिक इकाईयों, क्षेत्रीय इकाईयों, शिक्षण केन्द्रों, विभागों एवं पदों के सृजन के वित्तीय निहितार्थ पर परामर्श देना;
- (च) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु लिये जाने वाले शुल्कों के निर्धारण हेतु शुल्क समिति को सहायता प्रदान करना;
- (छ) विभिन्न मौजूदा पाठ्यक्रमों के साथ-साथ प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करना;
- (ज) संघटक महाविद्यालयों, शैक्षिक इकाईयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, शिक्षण केन्द्रों

इत्यादि के वित्तीय प्रबन्धन, वित्तीय अनुपालन एवं वित्तीय व्यवहार्यता की निगरानी व आकलन करना एवं प्रबन्ध मण्डल को अपेक्षित विशिष्ट उपचारात्मक उपाय हेतु सुझाव देना; एवं

(झ) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे सभी कृत्यों का निर्वहन करना जो प्रबन्ध मण्डल द्वारा सौंपी जाय एवं विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबन्धन के लिए आवश्यक हो।

अध्याय-पाँच

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

- विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी धारा 25,
- 5.01 अधिनियम की धारा 20 में परिभाषित प्राधिकारियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी निम्नवत् होंगे, अर्थात्:-
- (क) परीक्षा मण्डल;
 - (ख) संकाय ;
 - (ग) पाठ्यक्रम मण्डल;
 - (घ) शोध समिति; एवं
 - (ङ) लेखापरीक्षा समिति।
- परीक्षा मण्डल धारा 25 ,
- 5.02 (1) परीक्षा मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे:
- (क) कुलपति- अध्यक्ष;
 - (ख) संकायो के संकायाध्यक्ष; एवं
 - (ग) परीक्षा नियंत्रक-सदस्य सचिव
- (2) परीक्षा मण्डल, विद्या परिषद् के प्रति उत्तरदायी होगा एवं सभी कार्यवाहियों की आख्या विद्या परिषद् को देगा।
- (3) परीक्षा मण्डल की बैठक वर्ष में न्यूनतम एक बार होगी।
- (4) परीक्षा मण्डल की बैठक के लिए गणपूर्ति मण्डल के कुल नियुक्त सदस्यों की 1/2 (आधा) होगी।
- (5) विद्या परिषद् के नियंत्रण एवं परिनियमों के प्राविधानों के अधीन परीक्षा मण्डल की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, अर्थात्:-
- (क) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा सहित समस्त परीक्षाओं का विनियमन एवं सुचारु रूप से आयोजन सुनिश्चित करना;
 - (ख) सभी परीक्षाओं के आयोजन एवं संचालन के सम्बन्ध में नीतियाँ निर्धारित करना एवं परीक्षाओं की प्रणाली में सुधार करना;
 - (ग) परीक्षाओं के आयोजन एवं परिणाम घोषणा की तिथि की अनुसूची को अंतिम रूप देना;
 - (घ) परीक्षाओं के आयोजन, आकलन, मूल्यांकन एवं परिणामों की घोषणा से

सम्बन्धित सभी शिकायतों एवं कदाचारों का निपटारा करना;

- (ड़) अध्यादेशों के अनुरूप अनुचित साधनों एवं कदाचार के लिए दण्ड की मात्रा को विनिश्चित करना;
- (च) विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु बजट तैयार करना एवं उसे वित्त अधिकारी को देना;
- (छ) परीक्षाओं के संचालन के दौरान कड़ी निगरानी की व्यवस्था करना; एवं
- (ज) परीक्षा के संचालन एवं परीक्षा से सम्बन्धित मामलो पर, जैसा वह उचित समझें, ऐसे अन्य सभी निर्णय लेना।

संकाय
धारा 25 ,

- 5.03 (1) सभी प्रमुख शिक्षा की शाखाओं या शिक्षा की शाखाओं के समूह के लिए, एक संकाय होगा जो कि संकाय में सम्मिलित विषयो से सम्बन्धित शैक्षिक गतिविधियों के समन्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी निकाय होगा।
- (2) संकाय, विद्या परिषद् के प्रति उत्तरदायी होगा एवं सभी कार्यवाहियों की आख्या विद्या परिषद् को देगा।
- (3) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-
- (क) संकाय का संकायाध्यक्ष- अध्यक्ष;
 - (ख) संकाय के अन्तर्गत आने वाले संघटक महाविद्यालयों/ शैक्षिक इकाईयों के प्रधानाचार्य;
 - (ग) कुलपति द्वारा नामित, चक्रानुकम आधार पर अधिकतम 10 (दस) विभागाध्यक्ष;
 - (घ) कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विशेषज्ञ;
 - (ड.) कुलपति द्वारा नामित, चक्रानुकम आधार पर, दो प्राध्यापक;
 - (च) कुलपति द्वारा नामित, चक्रानुकम आधार पर, दो सह-प्राध्यापक; और
 - (छ) कुलपति द्वारा नामित, चक्रानुकम आधार पर, दो सहायक प्राध्यापक;
- (4) पदेन सदस्यों के सिवाय, संकाय के सभी नामित सदस्य, अपनी नामकन की तिथि से 02 (दो) वर्षों की अवधि के लिए सदस्य होंगे एवं वे तब तक दूसरे कार्यकाल के लिए अर्ह नहीं होंगे जब तक उस संकाय के सभी शिक्षक अपना पहला कार्यकाल पूरा नहीं कर लेंगे।
- (5) प्रत्येक संकाय की बैठक संकायाध्यक्ष द्वारा कुलपति के पूर्वानुमोदन से आहूत की जायेगी।
- (6) संकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल नियुक्त सदस्यों की 2/5 (दो/पाँच) होगी।
- (7) विद्या परिषद् के नियंत्रण एवं परिनियमों के प्राविधानों के अधीन संकाय की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, अर्थात:-

- (क) विद्या परिषद् द्वारा सन्दर्भित, या स्वयं, शैक्षिक मामलों पर विचार करना एवं उसकी आख्या देना;
- (ख) अपने अधीन विभिन्न पाठ्यक्रम मण्डलों की संस्तुतियों पर विचार करना एवं अनुमोदन करना एवं अपनी संस्तुतियों को विद्या परिषद् को प्रेषित करना;
- (ग) स्वयं या पाठ्यक्रम मण्डल या अन्तर-शिक्षा शाखाओं के पाठ्यक्रम मण्डल यदि कोई हो, द्वारा सन्दर्भित, नये पाठ्यक्रमों, अन्तर-शिक्षा शाखाओं के पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गठन पर विचार करना एवं विद्या परिषद् को संस्तुति भेजना;
- (घ) विद्या परिषद् को विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों एवं विभागों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य उच्च पाठ्यक्रमों के शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित संस्तुतियों प्रदान करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा निम्न मामलों के लिए बनाये गये दिशानिर्देश एवं अध्यादेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना—
- (एक) दीर्घकालिक पाठ्यक्रम विकास;
- (दो) शिक्षको का विकास;
- (तीन) अध्ययन व शिक्षण सामग्री का विकास;
- (चार) शैक्षिक कार्यप्रणाली एवं तकनीकों का नवोत्थान।
- (च) विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों एवं विभागों के अध्यापकों के लिए, विशेषकर संशोधित या नव-प्रस्तावित अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए, पुनश्चर्या एवं अभिविन्यास पाठ्यक्रमों के आयोजनों हेतु विद्या परिषद् को संस्तुत करना; एवं
- (छ) अन्य शैक्षिक मामले जो उसे सन्दर्भित किये जाय या जिसे वह उचित समझें, पर विचार करना।

पाठ्यक्रम
मण्डल
धारा 25,

5.04 (1) प्रत्येक विषय या विषयों के समूहों के लिए एक पाठ्यक्रम मण्डल होगा। पाठ्यक्रम मण्डल, सम्बन्धित संकाय के प्रति उत्तरदायी होगा एवं सभी कार्यवाहियों की आख्या सम्बन्धित संकाय को देगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम मण्डल में निम्न सदस्य होंगे, अर्थात्:—

- (क) विभागाध्यक्ष-अध्यक्ष;
- (ख) कुलपति द्वारा नामित अधिकतम एक प्राध्यापक;
- (ग) कुलपति द्वारा नामित अधिकतम दो सह-प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक; और
- (घ) कुलपति द्वारा नामित बाहरी एक विषय विशेषज्ञ।

(2) पाठ्यक्रम मण्डल की बैठकों का आयोजन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(3) मण्डल की बैठक 03 (तीन) वर्षों में न्यूनतम एक बार होगी;

परन्तु यह कि जब आवश्यक हो, अध्यक्ष, सम्बन्धित संकायाध्यक्ष से

परामर्श करके एवं कुलपति के पूर्वानुमोदन से मण्डल की बैठक का आयोजन कर सकेगा।

- (4) मण्डल की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल नियुक्त सदस्यों की 1/2 (आधा) होगी। एक बाहरी विशेषज्ञ सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (5) सम्बन्धित संकाय के नियंत्रण एवं परिनियमों के प्राविधानों के अधीन पाठ्यक्रम मण्डल की निम्नलिखित शक्तियों एवं कृत्य होंगे, अर्थात्:-
 - (क) संकाय द्वारा संदर्भित किये जाने पर स्वयं के अधिकार क्षेत्र के विषय या विषयों के समूह के शिक्षा के पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या एवं आंकलन की रीति हेतु संस्तुति प्रदान करना;
 - (ख) ऐसे शिक्षा के पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकों के साथ-साथ पाठ्य पुस्तकें, अतिरिक्त पठन, सन्दर्भ पुस्तकें एवं अन्य पाठ्य सामग्री संस्तुत करना;
 - (ग) शिक्षा के पाठ्यक्रमों में सुधार हेतु सम्बन्धित संकाय या संकायों को परामर्श देना; तथा
 - (घ) विषय में अभिविन्यास एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजनों को संस्तुत करना।

शोध समिति
धारा 25 , 5.05

- (1) शोध समिति विश्वविद्यालय में व्यापक शोध विकास की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगी।
- (2) शोध समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
 - (क) डीन अनुसंधान - अध्यक्ष;
 - (ख) समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष;
 - (ग) समस्त संघटक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य;
 - (घ) कुलपति द्वारा प्रत्येक संकाय से दो वर्षों की अवधि के लिए नामित एक स्थापित शोध की पृष्ठभूमि वाला शिक्षक; एवं
 - (ङ) कुलपति द्वारा दो वर्षों के लिए नामित दो बाहरी विशेषज्ञ।
- (3) नामित सदस्य पुर्ननियुक्ति के लिए अर्ह होंगे।
- (4) शोध समिति का अध्यक्ष अपनी समिति के किसी सदस्य को शोध समिति का सचिव चयनित कर सकेगा।
- (5) शोध समिति की बैठक एक वर्ष में न्यूनतम 03 (तीन) बार अवश्य आयोजित की जायेगी;

परन्तु यह कि शोध समिति की बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार कभी भी किया जा सकेगा।

- (6) शोध समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की 2/5 (दो/पाँच) होगी।
- (7) विद्या परिषद् के नियंत्रण एवं परिनियमों के प्राविधानों के अधीन शोध समिति की निम्नलिखित शक्तियों एवं कृत्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय में किये जा रहे अनुसंधान कार्य पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना;
- (ख) स्वयं या विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों, शैक्षिक इकाईयों व संघटक महाविद्यालयों द्वारा संदर्भित अनुसंधान से सम्बन्धित सभी मामलों पर विचार करना;
- (ग) विश्वविद्यालय में अन्तर-संकाय एवं अन्तर विभागीय अनुसंधान को बढ़ावा देना;
- (घ) अनुसंधान के संचालन एवं निगरानी हेतु, निम्नलिखित को सम्मिलित कर परन्तु उन तक सीमित न रहकर, दिशा निर्देशों को बनाना एवं क्रियान्वयन करना -
- (एक) प्रयोगशाला, पशु एवं क्लीनिकल अनुसंधान का नैतिक संचालन;
- (दो) अनुसंधान प्रस्तावों को प्रस्तुत करने एवं अनुदान की प्रक्रिया;
- (तीन) अनुसंधान योजनाओं की प्रगति की आख्या;
- (चार) प्रकाशन एवं प्रस्तुतियों के माध्यम से अनुसंधान के निष्कर्षों का प्रसार;
- (पांच) वित्त समिति को अनुसंधान बजट प्रस्तुत करना;
- (छ:) अनुसंधान व्ययों की निगरानी; और
- (सात) विश्वविद्यालय के सभी अनुसंधान गतिविधियों का प्रलेखन।
- (ड) विश्वविद्यालय के विभागों, संकायों, शैक्षिक इकाईयों एवं संघटक महाविद्यालयों की अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा करना; और
- (च) राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय, सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संघटनों एवं एजेंसियों के साथ संयोजन कर सहयोगात्मक एवं बहु-विषयक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना।

लेखा परीक्षा
समिति
धारा 25 ,

- 5.06 (1) विश्वविद्यालय की एक लेखा परीक्षा समिति होगी जिसमें व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नियुक्त न्यूनतम तीन सदस्य शामिल होंगे।
- (2) लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष व्यवस्थापक मण्डल का कोई सदस्य होगा जिसे कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
- (3) लेखा परीक्षा समिति, विश्वविद्यालय के किसी या सभी कार्यालयों व विभागों, इसके संघटक महाविद्यालयों, शैक्षिक इकाईयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं अनुसंधान केन्द्रों इत्यादि में नीतियों के क्रियान्वयन व इनके द्वारा कार्यपद्धति के पालन की आवधिक लेखा परीक्षा के लिए प्राधिकृत होगी।
- (4) लेखा परीक्षा समिति बाह्य पेशेवरों, विशेषज्ञों एवं एजेंसियों की सेवा ले सकेगी।
- (5) लेखा परीक्षा समिति व्यवस्थापक मण्डल के प्रति जवाबदेह होगी एवं सभी आख्याओं एवं संस्तुतियों को इसके समक्ष रखेगी।

अध्याय-छः

क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण एवं मान्यता

क्षेत्रीय केन्द्रों
एवं अध्ययन
केन्द्रों की

- 6.01 (1) विद्या परिषद् की संस्तुति एवं वित्त समिति के परामर्श पर, व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से प्रबन्ध मण्डल, क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों की स्थापना

स्थापना,
अनुरक्षण एवं
मान्यता

करेगा, मान्यता देगा एवं बन्द कर सकेगा।

(2) क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों के अनुरक्षण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा अध्यादेश द्वारा अवधारित किया जाय।

धारा 2 (र) और
3(क)

अध्याय—सात

मानद उपाधियाँ एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना

मानद उपाधियाँ
एवं अन्य
शैक्षणिक
विशिष्टताएँ
प्रदान करना

7.01 विद्या परिषद् की संस्तुति पर प्रबन्ध मण्डल, व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों जिन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया हो को मानद उपाधियाँ एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करने हेतु प्रस्ताव कर सकेगा;

परन्तु यह कि मानद उपाधियों को प्रदान करने का ऐसा प्रस्ताव व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष को उसकी सहमति के लिए भेजा जायेगा;

धारा 27 (ट),

परन्तु और यह भी कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य ऐसे मानद उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं का पात्र नहीं होगा।

अध्याय—आठ

अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, निःशुल्कता, पदक, पारतोषिक आदि संस्थित करना

धारा 27(ठ),
(ड)(ढ),

8.01 (1) विद्या परिषद् के परामर्श पर व्यवस्थापक मण्डल विभिन्न संकायों में अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, निःशुल्कता, पदक, पारतोषिक आदि को इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसरण में संस्थित करने की शक्ति होगी।

(2) उपर्युक्त हेतु उपयुक्त धनराशि आवंटित करने के लिए संस्तुति वित्त समिति को भेजने का उत्तरदायित्व संकाय के संकायाध्यक्ष, संघटक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा शैक्षिक इकाई के प्रमुख का होगा।

(3) अनुमोदित की गयी किसी भी अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, निःशुल्कताओं, पदको व पारतोषिकों को प्रदान करने, निलम्बित करने, वापस लेने या रद्द करने की पूर्ण शक्ति प्रबन्ध मण्डल को होगी।

अध्याय—नौ

अन्य विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा के संस्थानों के साथ सहयोग एवं सहभागिता की प्रणाली

धारा 27(ज),

9.01 विद्या परिषद् की संस्तुति तथा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से प्रबन्ध मण्डल को भारत तथा विदेश के अन्य संस्थानों, संघटनों, विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों, उद्योगों एवं सोसाइटियों के साथ शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत निबन्धनों व शर्तों के आधार पर सहयोग एवं सहभागिता स्थापित करने की शक्ति होगी।

अध्याय—दस

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति एवं

सेवा शर्तें

धारा 27(ड.),

10.
01

- (1) अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पात्रता का मापदण्ड ऐसा होगा जैसा अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया जाय।
- (2) विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी एवं अन्य कर्मचारी उनकी नियुक्ति के निबन्धनों एवं शर्तों तथा अध्यादेश द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय की आचार संहिता से शासित होंगे।
- (3) अधिनियम व परिनियमों के प्राविधानों के अधीन, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु संस्तुति देने के लिए एक चयन समिति होगी।
- (4) शैक्षणिक कर्मियों की चयन समिति में निम्न सदस्य होंगे, अर्थात:-
 - (क) कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) कुलसचिव –सचिव;
 - (ग) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति;
 - (घ) कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष या संघटक महाविद्यालय का प्रधानाचार्य या डीन अनुसंधान, जैसी स्थिति हो;
 - (ङ) विभागाध्यक्ष बशर्ते वह एक प्राध्यापक हो; और
 - (च) कुलपति द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ जो सह-प्राध्यापक के पद से कम न हो।
- (5) विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं प्रशासनिक कर्मियों की चयन समिति में निम्न सदस्य होंगे, अर्थात:-
 - (क) कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) कुलसचिव –सचिव;
 - (ग) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति; और
 - (घ) कुलपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ।
- (6) अन्य सभी कर्मचारियों जो कि उपरोक्त 3 एवं 4 में उल्लिखित नहीं है की चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-
 - (क) कुलसचिव –अध्यक्ष;
 - (ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति; और
 - (ग) कुलपति द्वारा नामित 03 (तीन) सदस्य जिनमें 01 (एक) विषय विशेषज्ञ हो।
- (7) आवश्यकतानुसार चयन समिति की बैठकों का आयोजन कुलपति के निर्देशन पर कुलसचिव द्वारा किया जायेगा।

- (8) चयन समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल नियुक्त सदस्यों का 1/2 (आधा) होगी, जिसमें किसी विषय विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (9) चयन समिति की संस्तुतियों एवं कुलपति के अनुमोदन पर, प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी, नियुक्ति की निबन्धन व शर्तों समाहित नियुक्ति आदेश जारी करेगा। ऐसी सभी नियुक्तियों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष, अनुमोदित हेतु रखा जायेगा।
- (10) विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रकार एवं प्रकृति, परिलब्धियाँ, नियुक्ति की निबन्धन व शर्तें ऐसी होगी जैसा अध्यादेश द्वारा निर्धारित की जाय।
- (11) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु ऐसी होगी जैसे अध्यादेश द्वारा निर्धारित की जाय।
- (12) प्रबन्ध मण्डल अपने स्वविवेक से किसी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मों, प्रशासनिक कर्मों एवं अन्य कर्मचारी की सेवा उसकी सेवानिवृत्ति की आयु को आगे भी बढ़ा सकेगा।
- (13) विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों को उनके रोजगार के उद्देश्य से, व्यक्तिगत सेवा के अनुबन्ध के अधीन माना जायेगा। इस प्रकार सेवा समाप्ति, निष्कासन, हटाने, त्याग-पत्र पर सेवा मुक्ति या किसी भी कारण से रोजगार समाप्ति की दशा में सेवा की निरन्तरता को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय या सम्बन्धित किसी भी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मों, प्रशासनिक कर्मों या कर्मचारी द्वारा सेवा समाप्ति, निष्कासन, हटाने, त्याग पत्र पर सेवा मुक्ति या रोजगार समाप्ति के दावे से सम्बन्धित सभी विवादों को परिनियमों के प्राविधानों के अधीन गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जायेगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम और उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

अध्याय- ग्यारह

विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

धारा 27(छ),

11. (1) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों व अन्य कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी ऐसा होगा जैसा अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया जाय।
- 01 (2) विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मों, प्रशासनिक कर्मों या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्राधिकारी निम्नलिखित किसी भी कारणों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेगा:
 - (क) नियुक्ति की किसी भी शर्त का उल्लंघन;
 - (ख) कर्तव्यों के निर्बहन में विफलता या अक्षमता; एवं
 - (ग) विश्वविद्यालय की आचार संहिता के एक या अधिक अनुच्छेद या प्राविधानों का उल्लंघन।

निलम्बन:

- (क) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी के विरुद्ध गम्भीर कदाचार के आरोप लगने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करेगा एवं आदेश जारी किये जाने की परिस्थितियों की सूचना अविलम्ब नियुक्ति प्राधिकारी को देगा।
- (ख) अनुशासनात्मक प्राधिकारी ऐसे-अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी को जो न्यायालय में नैतिक अधमता के किसी भी अपराध में अभियुक्त हो, उसके वाद के निराकरण तक निलम्बित करेगा।
- (ग) निलम्बन का आदेश लिखित रूप में होगा एवं आदेश की तिथि, या वह तिथि जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, से प्रभाव में आयेगा।
- (घ) इस परिनियम के अन्तर्गत निलम्बन का आदेश तब तक प्रभाव में रहेगा जब तक इसे, आदेश पारित करने वाले अनुशासनात्मक प्राधिकारी या किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जायेगा।
- (ङ.) किसी भी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी को उसकी निलम्बन अवधि के दौरान अवकाश नहीं दिया जायेगा।
- (च) निलम्बित अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी को प्रतिदिन निलम्बन आदेश पर उल्लिखित स्थान एवं समय पर अपनी उपस्थिति अंकित करनी होगी। यदि वह किसी दिन अपनी उपस्थिति अंकित करने में असफल होता है तो उसे उस दिन का निर्वाह भत्ता प्राप्त नहीं होगा।
- (1) निर्वाह भत्ता निम्न प्रकार देय होगा:
- (एक) जहाँ विभागीय जाँच विचारणीय या लम्बित हो, निलम्बन की तिथि से प्रथम 90 (नब्बे) दिनों के लिए निर्वाह भत्ता, अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी के निलम्बन की तिथि से त्वरित पूर्व पायी जा रही पूर्ण परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगा।
- (दो) यदि विभागीय जाँच लम्बे समय तक चलती है व अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी 90 (नब्बे) दिनों से अधिक अवधि के लिए निलम्बित रहता है तो 90 (नब्बे) दिनों के पश्चात् की अवधि का निर्वाह भत्ता उसके निलम्बन की तिथि से त्वरित पूर्व पायी जा रही पूर्ण परिलब्धियों का 75 प्रतिशत के समतुल्य होगा;
- परन्तु यह कि जहाँ उससे जुड़े प्रत्यक्ष कारणों से इस प्रकार की जाँच 90 (नब्बे) दिनों की अवधि से अधिक लम्बे समय तक चलेगी तो 90 (नब्बे) दिनों के पश्चात् की अवधि का निर्वाह भत्ता घटाकर उसके निलम्बन की तिथि से त्वरित पूर्व पायी जा रही पूर्ण परिलब्धियों का 25 प्रतिशत कर दिया जायेगा।
- (तीन) जहाँ अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी के विरुद्ध

आपराधिक कार्यवाही चल रही हो, तो निलम्बन की तिथि से प्रथम 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के लिए निर्वाह भत्ता उसके निलम्बन की तिथि से त्वरित पूर्व पायी जा रही पूर्ण परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगा।

(चार) यदि आपराधिक कार्यवाही लम्बे समय तक चलती है और वह अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक अवधि के लिए निलम्बित रहेगा तो 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बाद की अवधि का निर्वाह भत्ता उसके निलम्बन की तिथि से त्वरित पूर्व पायी जा रही पूर्ण परिलब्धियों का 75 प्रतिशत के समतुल्य होगा।

परन्तु यह कि जहाँ उससे जुड़े प्रत्यक्ष कारणों से इस प्रकार की आपराधिक कार्यवाही 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि से अधिक समय तक चलती है तो 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बाद की अवधि का निर्वाह भत्ता घटाकर उसके निलम्बन की तिथि से त्वरित पूर्व पायी जा रही पूर्ण परिलब्धियों का 25 प्रतिशत कर दिया जायेगा।

(2) जॉच या आपराधिक कार्यवाही, जैसी स्थिति हो, के निष्कर्ष पर यदि अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपो पर वह दोषी पाया जाये एवं उसकी सेवा समाप्ति/बर्खास्तगी के आदेश जारी किया गया हो, तो निलम्बन के आदेश की तिथि से उसकी सेवा समाप्त मानी जायेगी/उसे सेवा से बर्खास्त माना जायेगा और वह किसी भी प्रकार के अतिरिक्त परिश्रमिक/भत्तों का हकदार नहीं होगा।

(3) यदि जॉच के निष्कर्ष या आपराधिक कार्यवाही के निस्तारण पर, जैसी स्थिति हो, अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपो पर वह दोषी नहीं पाया जाता तो वह निलम्बन की अवधि में भी ड्यूटी पर समझा जायेगा और उस पूर्ण वेतन का हकदार होगा, जो उसे निलम्बित न होने की स्थिति में प्राप्त होते। उसे निलम्बन अवधि का पूर्ण वेतन उसके द्वारा निलम्बन अवधि के दौरान प्राप्त किये गये निर्वाह भत्ते को घटाकर देय होगा।

(4) कदाचार के लिए दण्ड/जुर्माना:

(एक) जॉच के उपरान्त, ऐसा अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी जिसे कदाचार के लिए दोषी पाया गया हो, कदाचार की गम्भीरता के अनुरूप निम्न प्रकार से दण्डित किया जा सकेगा:

(क) लघु दण्ड:

(एक) चेतावनी:

(दो) जुर्माना:

(तीन) नुकसान की राशि की वसूली।

(ख) बड़े दण्ड:

(एक) संचयी प्रभाव के साथ या बिना, किसी विशेष अवधि के लिए

वेतनवृद्धि को रोकना;

(दो) मजदूरी/वेतन के बिना निलम्बन;

(तीन) निचले पद, निचली श्रेणी या निचले वेतनमान पर पदावनति:

(चार) वेतनवृद्धि पर रोक:

(पांच) सेवा से हटाना/सेवा समाप्त करना/बर्खास्त करना।

(दो) दण्ड का आदेश सम्बन्धित अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी को लिखित रूप में संप्रेषित किया जायेगा।

(तीन) किसी शिक्षक की संविदा या नियुक्ति के निबन्धनों में किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति उसे हटाने का हकदार होगा:

परन्तु यह कि कुलाधिपति बिना किसी उचित या पर्याप्त कारण के एवं 03 (तीन) माह की लिखित सूचना या सूचना के एवज में 03 (तीन) माह के वेतन के भुगतान के बिना स्थाई शिक्षक को हटाने का हकदार नहीं होगा;

(चार) शिक्षक को छोड़कर सभी अन्य कर्मचारियों को उनकी संविदा या नियुक्ति के निबन्धनों में किसी बात के होते हुए भी, कुलपति उन्हें हटाने का हकदार होगा;

परन्तु यह कि कुलपति बिना किसी उचित या पर्याप्त कारण के एवं 03 (तीन) माह की लिखित सूचना या सूचना के एवज में 03 (तीन) माह के वेतन के भुगतान के बिना स्थाई कर्मचारी (शिक्षक के सिवाए) को हटाने का हकदार नहीं होगा।

(5) कदाचार से निपटारे की प्रक्रिया:

(एक) किसी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच हेतु कुलपति जाँच अधिकारी नियुक्त करेगा। जाँच अधिकारी कोई बाहरी व्यक्ति या विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी, जो अभियुक्त के पद से निम्न पद पर न हो, हो सकेगा। यदि कुलपति के मतानुसार जाँच सही तरीके से नहीं की जा रही है तो उसे जाँच को शुरू से कराने हेतु नये जाँच अधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार होगा।

(दो) उपरोक्त में उल्लिखित दण्डों को विनिश्चित करने से पूर्व विश्वविद्यालय के अभिलेखों में दर्ज अन्तिम पते या इलैक्ट्रॉनिक डाक पते पर, उसे लिखित रूप में कारण बताओ नोटिस/आरोप-पत्र सेवित किया जायेगा। कारण बताओ नोटिस/आरोप-पत्र में उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को, अपराध की प्रकृति या कदाचार के पूर्ण विवरण सहित, स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी से कारण बताओ नोटिस/आरोप-पत्र में एक निर्धारित तिथि तक लिखित रूप में उसके स्पष्टीकरण की माँग की जायेगी।

(तीन) कारण बताओ नोटिस/आरोप-पत्र को कुरियर के माध्यम से प्रेषित करने पर 04 (चार) कार्यदिवस या उपलब्ध सबसे तेज डाक सेवा से प्रेषित करने पर 07 (सात) कार्यदिवस में सौंपा माना जायेगा।

(चार) यदि अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी, कारण बताओ नोटिस/आरोप-पत्र को स्वीकार करने से मना करता है तो ऐसी अस्वीकृति को दो गवाहों की मौजूदगी में दर्ज किया जायेगा। अस्वीकार करने की स्थिति में जाँच की तिथि, स्थान व समय विश्वविद्यालय के सूचना-पट पर चस्पा कर दिया जायेगा। यदि वह विनिर्दिष्ट तिथि, स्थान व समय पर उपस्थित होने से इन्कार करेगा या उपस्थित नहीं होगा तो उसकी अनुपस्थिति में जाँच आयोजित की जायेगी।

(पांच) जाँच के दौरान सम्बन्धित अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी को अपने बचाव हेतु उचित अवसर प्रदान किये जायेंगे। जाँच अधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारणों सहित अस्वीकार न कर दिये जाने की दशा में उसे अपने बचाव में गवाहों को पेश करने की अनुमति होगी।

(छः) जाँच कार्यवाहियों की प्रतियाँ सम्बन्धित अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(सात) जाँच के समापन पर, जाँच अधिकारी साक्षियों को संग्रहीत करेगा, लगाये गये प्रत्येक आरोप पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा एवं अपनी आख्या कुलपति को प्रस्तुत करेगा जो जाँच आख्या को नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। यदि कुलपति जाँच आख्या से सन्तुष्ट नहीं है तो वह पुनर् जाँच/अग्रिम जाँच के लिए आदेश पारित करने हेतु अधिकृत होगा।

(आठ) जाँच अधिकारी की आख्या पर नियुक्ति प्राधिकारी विचार करेगा एवं सम्बन्धित अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी को या तो दोषमुक्त करेगा या उस पर उपरोक्त में वर्णित दण्डों में से कोई भी दण्ड देने का निर्णय लेगा।

(नौ) नियुक्ति प्राधिकारी सजा विनिर्णीत करते समय, अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी के कदाचार की गम्भीरता को ध्यान में रखेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति सम्बन्धित अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी को दी जायेगी।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिये गये दण्ड का निर्णय, पीड़ित द्वारा अपील के अधिकार के अधीन अन्तिम होगा।

(क) किसी पीड़ित अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी को किसी दण्डात्मक आदेश के विरुद्ध निम्न परिभाषित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा:

(एक) कुलाधिपति द्वारा पारित दण्डात्मक आदेश की दशा में व्यवस्थापक मण्डल अपीलीय प्राधिकारी होगा।

(दो) प्रबन्ध मण्डल द्वारा पारित दण्डात्मक आदेश की दशा में कुलाधिपति

अपीलीय प्राधिकारी होगा।

(ख) दण्डात्मक आदेश के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम व बाध्य होगा।

अध्याय— बारह

विश्वविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

धारा 27(ज),

12.
01

- (1) अनुशासन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित सभी शक्तियाँ कुलपति में निहित होंगी जो सभी या ऐसी शक्तियों को जैसा वह उचित समझे, ऐसे अन्य व्यक्ति/समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगा जैसा वह इस सम्बन्ध में उल्लिखित करेगा।
- (2) छात्र द्वारा किये गये किसी भी अनुशासनहीनता के कृत्य की सूचना संघटक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, सम्बन्धित संकाय के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, विभागाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलपति द्वारा पदांकित अन्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप में कुलपति को दी जायेगी।
- (3) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को इस आशय के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा कि वह विश्वविद्यालय के नियमों व अध्यादेशों का पालन करेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये मानकों के अनुसार अनुशासन बनाये रखेगा। विश्वविद्यालय या इसके किसी संघटक महाविद्यालयों/विभागों में अपने अध्ययन की अवधि के दौरान वह किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता के कृत्यों में लिप्त नहीं होगा अन्यथा उसके विरुद्ध परिनियमों के अनुसरण में उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) परिनियमों के तहत अनुशासन लागू करने की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित घोर अनुशासनहीनता के कृत्य होंगे:—
 - (क) विश्वविद्यालय, इसके संघटक महाविद्यालयों तथा शैक्षिक इकाईयों के किसी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी, अन्य कर्मचारी या छात्र के विरुद्ध शारीरिक हमला या शारीरिक बल प्रयोग करने की धमकी;
 - (ख) किसी हथियार या रसायन को रखना, इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करने की धमकी देना;
 - (ग) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के किसी प्राविधानों का उल्लंघन;
 - (घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रास्थिति, सम्मान एवं गरिमा को भंग करना;
 - (ङ) लिंग सम्बन्धी मौखिक या अन्य किसी प्रकार का अपमानजनक कृत्य ;
 - (च) धार्मिक व सम्प्रदायिक आधार पर असहिष्णुता एवं द्वेष उत्पन्न करना;
 - (छ) रिश्वत या भ्रष्टाचार का कोई भी कृत्य;
 - (ज) विश्वविद्यालय या इसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों इत्यादि द्वारा अयोजित किसी परीक्षा के कदाचार से

सम्बन्धित कृत्य;

- (झ) विश्वविद्यालय या इसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, इत्यादि की सम्पत्ति को जानबूझ कर क्षतिग्रस्त करना।
- (ञ) विश्वविद्यालय या इसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, इत्यादि के संचालन में किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करना;
- (ट) प्रतिबन्धित पदार्थों को रखना एवं/या इस्तेमाल करना;
- (ठ) रैंगिंग; एवं
- (ड) ऐसा कोई भी अन्य कृत्य या कर्तव्य में चूक जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी की दृष्टि में अनुशासनहीनता मानी जायेगी।
- (5) कुलपति, अपनी अनुशासन के अनुरक्षण की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश या निर्दिष्ट कर सकेगा कि किसी भी छात्र:-
- (क) को विर्णित अवधि के लिए निलम्बित किया जाना; या
- (ख) पर विनिर्दिष्ट राशि का जुर्माना लगाना; या
- (ग) को एक निर्धारित समय के लिए दण्ड स्वरूप निष्कासित कर दिया जाना; या
- (घ) को विश्वविद्यालय या इसके संघटक महाविद्यालयों या विभागों द्वारा आयोजित एक या अधिक परीक्षाओं से वंचित किया जाना; या
- (ङ.) के परीक्षाफल को, जिस परीक्षा में वह बैठा है, निर्धारित समय के लिए रोक देना या रद्द कर देना; या
- (च) को विश्वविद्यालय या इसके संघटक महाविद्यालयों या विभागों से निष्कासित करना।
- (6) कुलपति द्वारा दिये गये दण्ड का निर्णय, पीडित छात्र द्वारा अपील के अधिकार के अधीन अन्तिम होगा।
- (7) कुलपति व अन्य अधिकारियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना अनुशासन एवं सदाचार के सम्बन्ध में विस्तृत अध्यादेश बनाया जायेगा।

अध्याय— तेरह

विश्वविद्यालय एवं इसके अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मों, प्रशासनिक कर्मों, अन्य कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य विवादों का समाधान

धारा 27(च),

13. (1) विश्वविद्यालय या इसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों के किसी भी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मों, प्रशासनिक कर्मों व अन्य कर्मचारी को किसी भी दण्डात्मक आदेश के खिलाफ इन परिनियमों में उल्लिखित वर्णित अपीलीय अधिकारी के समक्ष दण्डात्मक आदेश पारित होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार होगा। अपीलीय

01

अधिकारी का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

- (2) विश्वविद्यालय या इसके संघटक महाविद्यालयों व विभागों के किसी भी छात्र को किसी भी दण्डात्मक आदेश के खिलाफ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष दण्डात्मक आदेश पारित होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार होगा। प्रबन्ध मण्डल का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
- (3) विश्वविद्यालय द्वारा इसके अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय दायित्वों/दावों से सम्बन्धित विवाद को, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, अन्तिम आदेश पारित होने के 03 (तीन) माह के अन्तर्गत मध्यस्थ प्राधिकरण को सन्दर्भित किया जा सकेगा। मध्यस्थ प्राधिकरण कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
- (4) जो भी पक्ष उपरोक्त खण्ड में वर्णित मध्यस्थ प्राधिकरण के द्वारा वाद का निपटारा करवाना चाहेगा वह कुलाधिपति को लिखित रूप में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन प्राप्त होने पर कुलाधिपति 30 (तीस) दिनों के भीतर मध्यस्थ प्राधिकरण का गठन करेगा एवं मामले को इसे सन्दर्भित करेगा।
- (5) मध्यस्थता का संचालन विश्वविद्यालय के मुख्यालय पटेल नगर, देहरादून में किया जायेगा। मध्यस्थता की समस्त कार्यवाही माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार संचालित की जायेगी।
- (6) यदि, किसी मामले में, कोई अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी किसी विवाद को मध्यस्थ प्राधिकरण में सन्दर्भित करने के पश्चात् प्राधिकरण के समक्ष अपने वाद को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं होगा तो प्राधिकरण विवाद की एक-पक्षीय सुनवाई कर अग्रिम कार्यवाही कर सकेगा।
- (7) मध्यस्थ प्राधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार दोनों पक्षों पर अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

अध्याय- चौदह

विभागों एवं संकायों का सृजन, उन्मूलन या पुनर्संरचना

- धारा 27(झ), 14. विद्या परिषद् की संस्तुति पर, प्रबन्ध मण्डल, किसी भी विभाग एवं संकाय का
- 01 सृजन, उन्मूलन या पुनर्संरचना करेगा;
- परन्तु यह कि किसी विभाग या संकाय का सृजन वित्त समिति के परामर्श से किया जायेगा।

अध्याय- पन्द्रह:

अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या एवं ऐसे पाठ्यक्रमों में उत्तराखण्ड के छात्रों हेतु आरक्षण सहित छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया

- धारा 27(ड), 15. (1) वैधानिक परिषद् द्वारा स्वीकृत या प्रबन्ध मण्डल द्वारा विनिश्चित तथा कुलाधिपति के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों

01

हेतु सीटों की कुल संख्या विनिश्चित की जायेगी।

- (2) प्रबन्ध मण्डल कुलाधिपति या वैधानिक परिषदों, जैसी स्थिति हो, के अनुमोदन के अधीन विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या को बढ़ा या घटा सकेगा।
- (3) वैधानिक परिषद् द्वारा स्वीकृत या प्रबन्ध मण्डल द्वारा विनिश्चित तथा कुलाधिपति के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सीटों के वितरण विनिश्चित किया जायेगा।
- (4) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता का मापदण्ड ऐसा होगा जैसा अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया जाय।
- (5) सभी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा या प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षण निकाय/मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा की मेरिट/रैंक के आधार पर किया जाएगा;

परन्तु यह कि जहाँ प्रवेश परीक्षा का आयोजन अनिवार्य न हो, प्रवेश अर्हकारी परीक्षा की गुणावगुण के आधार पर किये जायेंगे।

- (6) सभी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में उत्तराखण्ड के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार होगा।
- (7) उत्तराखण्ड के छात्रों के लिए आरक्षित सीटें यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक रिक्त रहेगी तो विश्वविद्यालय इन खाली सीटों पर अन्य छात्रों को प्रवेश दे सकेगा।

अध्याय— सोलह

विश्वविद्यालय का विघटन

धारा 49 ,

16.

01

- (1) विश्वविद्यालय के विघटन के प्रस्ताव की प्राप्ति पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन की तिथि विनिश्चित करेगा।
- (2) राज्य सरकार द्वारा विघटन की तय तिथि के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में कोई भी प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- (3) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी एवं अधिकारी तब तक कार्यरत रहेंगे जब तक कि अन्तिम छात्र विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं हो जायेगा।
- (4) विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों से संग्रहित शुल्क एवं किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि को विश्वविद्यालय के खातों में जमा किया जाता रहेगा।
- (5) विश्वविद्यालय से अन्तिम छात्र के उत्तीर्ण होने की तिथि से विश्वविद्यालय विघटित माना जायेगा एवं अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रायोजक संस्था द्वारा विश्वविद्यालय को सौंपी गयी सम्पदा, चल एवं अचल सम्पत्ति प्रायोजित संस्था में निहित हो जायेगी।
- (6) अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विघटित होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित सम्पदा, चल एवं अचल सम्पत्तियाँ प्रायोजित संस्था में निहित एवं

हस्तांतरित हो जायेगी।

अध्याय— सत्रह

विविध

- रैगिंग
[धारा 8 (घ)]
17. 01
- (1) विश्वविद्यालय या इसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, शैक्षिक केन्द्रों, इत्यादि के परिसर के भीतर या बाहर, किसी भी प्रकार की रैगिंग सर्वथा प्रतिबन्धित होगी।
- (2) इस परिनियम के प्रयोजन के लिए रैगिंग के लिए उकसाना जिसमें किसी भी तरह का कार्य, व्यवहार या प्रोत्साहन सम्मिलित है, रैगिंग का कृत्य माना जायेगा।
- (3) इस परिनियम के प्रयोजनों के लिए, रैगिंग से साधारणतया ऐसे किसी व्यक्तिगत या सामूहिक कोई कार्य, आचरण या व्यवहार से अभिप्रेत है जिसके द्वारा वरिष्ठ छात्रों की प्रभुता को नए नामांकित छात्रों या कनिष्ठ छात्रों पर उपस्थापित किया जाए। निम्नलिखित में से किसी भी कार्य, आचरण या व्यवहार को रैगिंग माना जायेगा:—
- (क) शारीरिक हमला करना या शारीरिक बल प्रयोग करने की धमकी;
- (ख) छात्रों की प्रारिथिति, गरिमा और सम्मान को भंग करना;
- (ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रारिथिति, गरिमा और सम्मान को भंग करना;
- (घ) छात्रों का उपहास करना और तिरस्कार करना एवं उनके स्वाभिमान को क्षति पहुँचाना; और
- (ङ) आक्रामक एवं अभद्र भाषा, इशारों व व्यवहार का प्रयोग करना।
- (4) रैगिंग का कोई व्यक्तिगत/सामूहिक कार्य या व्यवहार, घोर अनुशासनहीनता समझी जाएगी और इस परिनियम के अधीन कठोर कार्यवाही की जाएगी।
- (5) संघटक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्षों, वार्डन, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कुलपति द्वारा नामित अन्य अधिकारी रैगिंग घटित होने की किसी भी सूचना पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे।
- (6) खण्ड (5) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यायोजित अधिकारी रैगिंग की किसी भी घटना की जांच कर सकेंगे व घटना की प्रकृति व वे जो रैगिंग में संलिप्त थे, की पहचान स्थापित कर, प्रथम सूचना कुलपति को करेंगे।
- (7) यदि संघटक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष, वार्डन, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कुलपति द्वारा नामित अन्य अधिकारी का लिखित में यह अभिमत हो कि किसी कारणवश इस प्रकार की जांच करना उचित या व्यावहारिक नहीं है, तो तदनुसार वह कुलपति को परामर्श दे सकेगा। यदि कुलपति आश्वस्त हो जाता है कि ऐसी जांच करना वांछनीय नहीं है, तो उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- (8) रैगिंग की घटना की जांच का निष्कर्ष प्राप्त होने पर कुलपति दोषी के विरुद्ध अध्यादेश के अनुसार निर्धारित कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा। रैगिंग

के कृत्य में संलिप्त छात्र के विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही भी शुरु की जायेगी।

- (9) यदि विश्वविद्यालय की उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हुआ छात्र इस परिनियम के अधीन दोषी पाया जाता है, तो इस उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र को वापस लेने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समुचित कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।
- (10) विश्वविद्यालय या इसके संघटक महाविद्यालयों तथा विभागों के सभी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी एवं अन्य कर्मचारी इस परिनियम के अधीन जारी अनुदेशों/निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होंगे। इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु वे कुलपति को सहायता प्रदान करेंगे।

दीक्षान्त समारोह
धारा 27,

17.
02

- (1) प्रबन्ध मण्डल द्वारा विनिश्चित तिथि एवं समय पर वर्ष में एक बार विश्वविद्यालय द्वारा उपाधियों, डिप्लोमाओं एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को प्रदान करने हेतु दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जायेगा।
- (2) कुलाधिपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा एक विशेष दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जा सकेगा।
- (3) दीक्षान्त समारोह की प्रक्रिया व प्रोटोकॉल ऐसे होंगे जैसा अध्यादेश द्वारा निर्धारित किये जाय।
- (4) कुलाध्यक्ष के अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति द्वारा की जायेगी। कुलाध्यक्ष एवं कुलाधिपति दोनों की अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति, यदि कोई हो, दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा। तीनों (कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति एवं प्रतिकुलपति) की अनुपस्थिति में कुलपति दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।
- (5) यदि विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह का आयोजन करने में असमर्थ होगा, तो उपाधियों, डिप्लोमा एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ सम्बन्धित अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से सौंपी जा सकेगी या पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जा सकेगी।

उपाधियों,
डिप्लोमा एवं
प्रमाण-पत्रों को
वापस लेना।
धारा 27,

17.
03

ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें उपाधियों, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान की जा चुकी है, प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद् की संस्तुति पर निम्नलिखित कारणों से इन विशिष्टताओं को वापस ले सकेगा:-

(क) झूठी सूचना जमा करना, तथ्यों को छुपाना, विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में प्रवेश लेते समय धोखाधड़ी से तथ्यों को बदल देना;

(ख) अपुनरुत्पादनीय (इरिप्रोड्यूसिबल) परिणाम या थीसिस/डिसरटेशन में प्लेजिराइजेशन;

(ग) रैगिंग का पुष्ट कृत्य ;

(घ) विश्वविद्यालय के देय के भुगतान में जानबूझ कर चूक; और

(ङ) विद्या परिषद् द्वारा निर्धारित कोई अन्य कारण।

- वरिष्ठता सूची धारा 27, 17. 04 (1) अधिनियम एवं परिनियमों के अनुसार जब भी, किसी व्यक्ति को एक पद धारण करना हो या चकानुकम के आधार पर वरिष्ठतानुसार विश्वविद्यालय के प्राधिकारी का सदस्य बनना हो, तो इस प्रकार की वरिष्ठता उस व्यक्ति की विश्वविद्यालय के उसकी श्रेणी में की गयी निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार एवं प्रबन्ध मण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य मापदण्डों के अनुरूप निर्धारित की जायेगी।
- (2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह सभी श्रेणी के कर्मचारियों की पूर्वगामी खण्ड के प्राविधानों के अनुसार एक पूर्ण एवं अद्यतन वरिष्ठता सूची बनाएगा एवं अनुरक्षित करेगा।
- (3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों की एक विशेष श्रेणी में निरन्तर सेवा की अवधि समतुल्य है या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता पर संदेह है, तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से या सम्बन्धित व्यक्ति के अनुरोध पर इस प्रकरण को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखेगा जिस पर प्रबन्ध मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।
- परिसंचरण (सर्कुलेशन) द्वारा कार्य (बिजनेस) धारा 27, 17. 05 परिस्थिति अनुसार यदि आवश्यक हो, तो विश्वविद्यालय के प्राधिकारी का कार्य (बिजनेस), सम्बन्धित प्राधिकारी के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, सभी प्रासांगिक कागजातो एवं उचित संकल्प को अपने सदस्यों के मध्य सर्कुलेट करके सम्पादित किया जायेगा। ऐसा सर्कुलेट किया गया व अनुमोदित संकल्प उतना ही प्रभावी एवं बाध्यकारी होगा जैसे कि यह संकल्प प्राधिकारी की बैठक में पारित हुआ हो। इस प्रकार पारित संकल्प को प्राधिकारी की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जायेगा।
- रिक्तियाँ धारा 27, 17. 06 (1) जब विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी में मृत्यु, पदत्याग या अन्य किसी भी कारण से कोई रिक्तता होगी तो उस प्राधिकारी का सचिव रिक्तता को तुरन्त भरने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- (2) प्राधिकारी का सचिव अवलंबी सदस्यों के नामांकन की अवधि समाप्त होने के तीन माह पूर्व नामांकन की प्रक्रिया आरम्भ करेगा।
- प्राधिकारी की बैठक में निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया धारा 27, 17. 07 सभापति सहित विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सभी सदस्यों का एक मत (वोट) होगा। प्राधिकारी की बैठकों में निर्णय साधारण बहुमत द्वारा लिया जायेगा। बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत (वोट) सभापति का होगा।
- प्राधिकारी की बैठक की कार्यवाही धारा 27, 17. 08 (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी की बैठक की कार्यवाही प्राधिकारी के सचिव द्वारा अभिलिखित की जायेगी एवं बैठक के सचिव एवं सभापति के द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।
- (2) यदि प्राधिकारी का सचिव प्राधिकारी की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो अध्यक्ष द्वारा प्राधिकारी के सदस्यों में से एक सदस्य को उस बैठक के लिए सचिव नियुक्त किया जायेगा।
- (3) प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद एवं वित्त समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की

एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को भेजी जायेगी।

- प्राधिकारी की बैठक की सूचना एवं कार्यसूची धारा 27,
17. 09 (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी की बैठक की सूचना, प्राधिकारी के सचिव द्वारा बैठक से 15 (पन्द्रहः) दिन पूर्व दी जायेगी।
- (2) बैठक की कार्यसूची, पिछली बैठक की कार्यवृत्त के साथ इस प्रकार परिचालित (सर्कुलेट) की जायेगी ताकि वह सदस्यों के पास बैठक से 7 (सात) दिन पूर्व पहुँच जाये।

- गणपूर्ति के अभाव में प्रक्रिया धारा 27,
17. 10 प्राधिकारी की किसी बैठक में गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित किया जायेगा व 30 (तीस) मिनट के पश्चात् उसी स्थान पर पुनः आयोजित किया जायेगा। पुनः आयोजित की गयी बैठक में लिये गये निर्णय सभी उद्देश्यों के लिए वैध होंगे। इस प्रकार की पुनः बुलायी गयी बैठक में ऐसे कार्य या मद, जो सदस्यों को पहले से परिचालित कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है, पर विचार नहीं किया जायेगा।

- भाक्तियों का प्रत्यायोजन धारा 27,
17. 11 अधिनियम एवं परिनियमों के प्राविधानों के अधीन, विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी अपनी शक्तियों को, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

परन्तु यह कि इस प्रकार से प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उस अधिकारी या प्राधिकारी की होगी, जो ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर रहा है।

- सदस्यता-विवाद, त्याग-पत्र, अयोग्यता एवं कार्यवाहक अध्यक्ष धारा 27,
17. 12 (1) यदि किसी व्यक्ति के विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य समिति के सदस्य निर्वाचित होने, नामांकन या नियुक्त होने या हकदार होने से सम्बन्धित कोई प्रश्न उठता है, तो यह मामला उचित माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय इस पर अंतिम होगा।
- (2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के पदेन सदस्य के अलावा कोई भी सदस्य, उस प्राधिकारी के अध्यक्ष को प्रेषित लिखित पत्र द्वारा पद का परित्याग कर सकेगा एवं कुलाधिपति या कुलपति, जैसी स्थिति हो, की स्वीकृति पर तत्काल प्रभावी माना जायेगा।

- (3) निम्नलिखित के आधार पर कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य के रूप में सेवारत होने के लिए अयोग्य हो जायेगा:-

(एक) यदि वह अस्वस्थ दिमाग वाला या पागल हो;

(दो) यदि वह अनुमोचित (अन-डिस्चार्ज्ड) दीवालिया हो;

(तीन) यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध पर दोषी सिद्ध हुआ हो; और

(चार) यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य हो।

- (4) यदि उपरोक्त खण्ड (3) के अनुसार किसी व्यक्ति की अयोग्यता के सम्बन्ध में विवाद उठता है तो कुलपति द्वारा यह मामला कुलाधिपति को सन्दर्भित किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा एवं इस तरह के निर्णय के खिलाफ किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही योजित नहीं की जा सकेगी।

- (5) जहाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु

अध्यक्ष का कोई प्राविधान नहीं किया गया हो या प्राविधान होने के बावजूद अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो मौजूदा सदस्य अपने मध्य में से किसी एक को ऐसी बैठक की अध्यक्षता के लिए चयनित करेंगे।

विशेष आमंत्रित
सदस्य,
धारा 27,

17. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को, आवश्यकता पड़ने पर, अपनी बैठक में भाग लेने के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार का विशेष आमंत्रित सदस्य, प्राधिकारी या निकाय की बैठक में विषय वस्तु पर अपनी विशेष राय देने के लिए भाग लेगा एवं तत्पश्चात् बैठक से विदा लेगा। ऐसे विशेष आमंत्रित सदस्य को मतदान की शक्ति नहीं होगी।

क्षेत्राधिकार
धारा 27,

17. विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बंधित सभी विवाद, उत्तराखण्ड राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय होगा।
